17

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर समिति के आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

सत्रहवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

*फरवरी, 2020/*माघ*, 1942 (शक)*

सत्रहवाँ प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर समिति के आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

08.02.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

08.02.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2020/माघ, 1942 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
समिति की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iv)
अध्याय I	प्रतिवेदन.....	1
अध्याय II	सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है.....	19
अध्याय III	सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती.....	43
अध्याय IV	सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....	44
अध्याय V	सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं.....	48
	परिशिष्ट	
I.	सभी 33एफएम ट्रांसमीटर टावरों का कार्य पूरा होने की वतर्मान स्थिति और लक्ष्य तिथि	56
II.	115 जरूरतमंद जिलों में कार्यान्वयन के अधीन आकाशवाणी के सेटअप और स्कीम (35 एमएचए एलडब्ल्यूई पूल + 50 मंत्रालय पूल + 30 नीति आयोग पूल)	64
III	एफएम ट्रांसमीटर और कवरेज के साथ सीमाओं का विवरण	78
IV	सभी प्लेटफार्मों पर सोशल मीडिया की मौजूदगी का विवरण	79
	अनुबंध	
I.	25 नवम्बर, 2020 को आयोजित समिति की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश। @	
II.	आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	88
	@ फोटोकॉपी प्रतियों के साथ संलग्न नहीं है	

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार
8. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. श्री निशीथ प्रामाणिक
13. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
14. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
*15. श्री जयदेव गल्ला
16. श्री संजय सेठ
17. श्री चंदन सिंह
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
20. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
#21. श्रीमती सुमलता अम्बरीश

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. सुभाष चन्द्र
24. श्री वाई. एस. चौधरी

25. श्री शक्तिसिंह गोहिल
26. श्री सुरेश गोपी
27. श्री मो. नदीमुल हक
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफर इस्लाम
30. डॉ. नरेन्द्र जाधव
31. श्री नबाम रेबिआ

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वाई. एम. कांडपाल - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती गीता परमार - अपर निदेशक
3. श्रीमती रिंकी सिंह - सहायक कार्यकारी अधिकारी

---

* समाचार भाग - दो दिनांक 15.10.2020 के तहत 15.10.2020 से समिति में नामनिर्देशित

समाचार भाग - दो दिनांक 28.12.2020 के तहत 28.12.2020 से समिति में नामनिर्देशित

प्राक्कथन

मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सत्रहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. आठवें प्रतिवेदन को 13 मार्च 2020को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 31जुलाई, 2020 को अपनी की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत किया।

3. समिति की 25 नवम्बर, 2020 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली;
04 फरवरी, 2021
15 माघ, 1942 (शक)

डॉ .शशि थरूर,
सभापति,
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी
स्थायी समिति।

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंध स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2020-21) संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. आठवें प्रतिवेदन को 13 मार्च 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 31जुलाई 2020को अपनी की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत किया। इसमें कुल 26 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :-

(i) सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सि. क्र .सं.:- 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 25 और 26

कुल-18

अध्याय-दो

(ii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सि. क्र. सं.: शून्य

कुल- शून्य

अध्याय-तीन

(iii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता हैः

सि. क्र. सं.:- 15 तथा 18

कुल - 02

अध्याय-चार

(iv) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैः

सि. क्र. सं.:- 2, 14, 17, 19, 23 और 24

कुल - 06

अध्याय-पांच

3. समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकृत टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यंत महत्व दिया जाएगा। समिति यह भी चाहती है कि अध्याय में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई विवरण और इस प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी उत्तरों को उसे यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

4. अब समिति अपनी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर चर्चा करेगी।

(सिफारिश क्रम संख्या 4)

5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2020-21) संबंधी प्रतिवेदन के दौरान समिति संशोधित अनुमान स्तर पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजटीय आवंटन में सतत कमी को, मंत्रालय की इस स्वीकारोक्ति कि, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान के स्तर पर कमी सामान्यत :व्यय की गति से संबंधित थी, को ध्यान में रखते हुए, नोट कर क्षुब्ध थी। 2019-20 के दौरान भी बजटीय अनुमान पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 900 करोड़ रुपये रु .के बजटीय आवंटन को वित्त मंत्रालय ने, इस तथ्य के चलते कि 30.09.2019 तक मंत्रालय ने मात्र 31.03% का उपयोग किया था, संशोधित अनुमान के स्तर पर 30.51% घटाकर 625.39 करोड़ रु .कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में खराब बजटीय प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि इसके तीनों क्षेत्रों की निधियों की आवश्यकताओं का निर्धारण वास्तविक अनुमान के आधार पर किया जाए जिससे बजटीय प्रक्रिया को अधिक सार्थक एवं सटीक बनाया जा सके।

6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

" 625.39करोड़ रु .के संशधित अनुमान के विरूद्ध वर्ष 20-2019के दौरान मंत्रालय ने 607.21करोड़ रु 97) .प्रतिशत (का व्यय दर्ज किया।"

7. यह टिप्पणी करते हुए कि सं.अ. स्तर पर गत तीन वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजटीय आबंटनों में बार-बार की जाने वाली कमी का कारण मुख्यत: व्यय करने की गति से जुड़ा है। समिति इस बात पर आश्वस्त होना चाहती है कि मंत्रालय अधिक अर्थपूर्ण और सही-सही बजटीय कार्य के लिए अपने तीन क्षेत्रों हेतु धनराशि की अपनी आवश्यकता के लिए वास्तविक मूल्यांकन करे। की-गई-कार्रवाई उत्तर के माध्यम से, यह सूचित किया गया है कि मंत्रालय ने 625.39 करोड़ (97 प्रतिशत) का व्यय दर्ज किया है। तथापि, मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 से भिन्न आगामी वर्षों में अधिक अर्थपूर्ण बजटीय कार्य की दिशा में धनराशि की अपनी आवश्यकता का वास्तविक मूल्यांकन करने, यदि कोई हो, तो जब 900 करोड़ रुपए के ब.अ. के वित्त मंत्रालय द्वारा सं.अ. स्तर पर घटा दिया गया था और गत तीन वर्षों तक समिति द्वारा ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई थी। समिति चाहती है कि उसे तदनुसार सूचित किया जाए।

(सिफारिश क्रम संख्या 8)

8. समिति ने पाया कि यद्यपि 33 एफएम ट्रांसमीटर टावर स्वीकृत किए गए थे तथापि स्थल अधिग्रहण या भवन निर्माण, पर्यावरण मंजूरी में विलंब जैसे कारणों से इन्हें या तो अधिस्थापित नहीं किया गया है या ये कार्य नहीं कर रहे हैं एवं कुछ मामलों में मामला संभारिकीय सहायता के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के पास विचाराधीन है। अतः समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि लोगों को प्रक्रियागत विलंब के कारण एफएम ट्रांसमीटर्स से वंचित नहीं होना चाहिए तथा यह भी कि सभी स्वीकृत किए गए एफएम ट्रांसमीटरों को प्राथमिकता आधार पर चलाया जाए और समिति को इस संबंध में होने वाली प्रगति से अवगत कराया जाए।

9. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"प्रसार भारती जल्द से जल्द ट्रांसमीटरों को चालू करने हेतु सभी प्रयास कर रहा है। सभी 33एफएम ट्रांसमीटर टावरों का कार्य पूरा होने की वतर्मान स्थिति और लक्ष्य तिथि *परिशिष्ट*- एक पर दी गई है।"

10. समिति की-गई-कार्रवाई उत्तर से यह नोट करती है कि 31 स्वीकृत एफएम ट्रांसमीटर के संबंध में समय-सीमा जून, 2020 से मार्च, 2023 तक अलग-अलग हैं। इसके अतिरिक्ति अरुणाचल प्रदेश में नमसाई और अनिनी में 2 ट्रांसमीटर के संबंध में अनिनी स्थित अन्य परियोजना के लिए अभी तक किसी को निर्माण कार्य नहीं सौंपा गया है, सिक्युरिटी फेसिंग और उपयुक्त स्थल की पहचान की जा रही है। ऐसा सूचित किया गया है कि प्रसार भारती ट्रांसमीटर्स को यथाशीघ्र चालू करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। समिति को आशा है कि प्रसार भारती के निरंतर प्रयासों से सभी स्वीकृत 33 ट्रांसमीटर को निर्धारित समय-सीमा के भीतर चालू कर दिया जाएगा। समिति को यह सूचित किया जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में नमसाई और प्रत्येक ट्रांसमीटर की अद्यतन स्थिति क्या है और अनिनी ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु समय-सीमा का ब्यौरा क्या है।

(सिफारिश क्रम संख्या 9)

11. यह नोट करते हुए कि एफएम टांसमीटर्स के आवंटन हेतु मुख्य मानदंड सीमावर्ती क्षेत्रों, एलडब्ल्यूई क्षेत्रों और महत्वाकांक्षी जिलों के स्थल विशेष है तथा एलडब्ल्यूई और सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में, देश भर में कवरेज का निर्णय सुरक्षा/रणनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के परामर्श से लिया जाता है, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय/प्रसार भारती, गृह मंत्रालय के परामर्श से सीमावर्ती क्षेत्रों, एलडब्ल्यूई क्षेत्रों और महत्वाकांक्षी जिलों के सभी स्थलों को एफएम ट्रांसमीटर्स से कवर करे जिससे कि इन क्षेत्रों के लोग एफएम सेवाओं के लाभ से वंचित न हों।

12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की दृष्टि से जिनजिलों का दर्जा खराब है उन्हें सुधारने के उद्देश्य से, नीति आयोग ने 115जरूरतमंद जिलों)गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हितवामपंथ उग्रवाद)एलडब्ल्यूई (प्रभावित 35जिले, केंद्र सरकार के मंत्रालयों

द्वारा स्थापित 50+ नीति आयोग द्वारा चिन्हित 30जिले (को अंतिम रूप से तय कियाहै, सरकार की इन जिलों में सामाजिक संकेतकों को सुधारने की परिकल्पना है। मौजूदा आकाशवाणी की वर्तमान उपस्थिति के साथ-साथ इन 115जिलों तथा इनमें वर्तमान में लागू की जा रही स्कीमों का विवरण *परिशिष्ट*- दो में दिया गया है। एलडब्ल्यूई प्रभावित और जरूरतमंद जिलों में एफएम कवरेज पर विवरण निम्नानुसार हैः -

जिले	**वर्तमान कवरेज)लगभग ( )%)**		**चल रही परियोजना के पूरा होने के बाद कवरेज)%)**	
	क्षेत्र की दृष्टि से	**जनसंख्याकी दृष्टि से**	**क्षेत्र की दृष्टि से**	**जनसंख्याकी दृष्टि से**
एलडब्ल्यूई प्रभावित 35)जिले(	30	45	35	50
शेष जरूरतमंद जिले 80)जिले(	60	65	75	80

सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में ,आकाशवाणी के 103एफएम ट्रांसमीटर हैं ,जो सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज प्रदान कर रहें है। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती क्षेत्रों में 19 एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना की परियोजनाएं कार्यान्वयन के तहत हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम प्रसारण पर 'तथ्य एक नजर में' *परिशिष्ट*- तीन पर दिया गया है।

स्थलीय प्रसारण के अलावा, आकाशवाणी देशभर के लोगों तक पहुंच के लिए अन्य प्लेटफार्मों का भी उपयोग कर रहा है। वर्तमान में ,आकशवाणी के 38चैनल दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म)डीडी फ्री डिश (पर उपलब्ध हैं और 248से अधिक आकाशवाणी चैनलों और स्टेशनों का 'सीधा प्रसारण' शुरू किया गया है, जिसे प्रसार भारती की वेबसाइट को ब्राउज करके इंटरनेट के माध्यम से और स्मार्ट मोबाइल फोन पर <न्यूज ऑन एयर> ऐप डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है।"

13. समिति नोट करती है कि 35 एलडब्ल्यूई जिलों की 45 प्रतिशत 80 एसपिरेशनल जिलों की 45 प्रतिशत जनसंख्या तक एफएम की कवरेज है। समिति यह भी नोट करती है कि एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु मंत्रालय की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के

पूरा होने पर भी एलडब्ल्यूई जिलों की 50 प्रतिशत और एसपिरेशनल जिलों की 80 प्रतिशत जनसंख्या ही कवर हो पाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए, समिति चाहेगी कि मंत्रालय 115 एसपिरेशनल जिलों में लोगों की सुविधा के लिए एफएम कवरेज बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाए।

समिति नोट करती है कि आकाशवाणी के पास 103 एफएम ट्रांसमीटर हैं जो कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती क्षेत्रों में 19 एफएम ट्रांसमीटर्स के संस्थापन हेतु परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम ट्रांसमीटर और कवरेज के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ब्यौरे से समिति को पता चला है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 19 ट्रांसमीटर्स की स्थापना वाली परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात् 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत होगा जिस स्थिति में एफएम ट्रांसमीटर्स के साथ 93.25 प्रतिशत सीमाई कवरेज होगी। इस संबंध में समिति मंत्रालय से आग्रह करेगी कि वह पड़ोसी देशों द्वारा भारत विरोधी शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार का प्रभावी रुप से मुकाबला करने के लिए कुछ संवेदनशील सीमाई क्षेत्रों में एफएम ट्रांसमीटर्स की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे। इस संबंध में, स्थानीय भाषाओं में प्रसारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

(सिफारिश क्रम संख्या 10)

14. समिति ने पाया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रणनीतिक स्थलों जैसे कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, में दूरदर्शन चैनलों की पहुंच बढ़ाने का प्रस्ताव किया है तथा जम्मू और कश्मीर में अभी तक 30,000 सेट टॉप बॉक्स)एसटीबी (वितरित किए जा चुके हैं तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से एसटीबी का और आगे वितरण जारी हैं। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय द्वारा रणनीतिक क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्सों के वितरण हेतु अपनाए जा रहे मानदंडों तथा 2020-21 के दौरान सेट टॉप बॉक्सों के वितरण हेतु तय लक्ष्य से उसे अवगत कराया जाए।

15. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"सेट टॉप बॉक्स)एसटीबी) का वितरण सूचना और प्रसारण मंत्रालाय तथा गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत सुदूर, ग्रामीण और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में किए जाने की योजना है, जो आमतौर पर मीडिया की पंहुच से बाहर होते हैं। इन क्षेत्रों

में रहने वाली एक बड़ी आबादी के पास प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया की पंहुच की कमी के कारण जानकारी की सीमित पहुंच है । साथ ही, ऐसे क्षेत्रों में केबल का बुनियादी ढांचा बहुत खराब है। इसके अलावा, यह ऐसे क्षेत्रों में डीडी फ्री डिश को भी लोकप्रिय बनाता है, ताकि लोगों को उनके द्वार पर उनके संचार सेवाएंप्रदान की जा सके। ये एसटीबी संबंधित राज्य सरकार /गृह मंत्रालय / सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से वितरित करने की योजना है।

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में 30,000 सेट टॉप बॉक्स वितरित करते समय पात्र परिवारों की पहचान के लिए अपनाए गए मापदंड निम्नानुसार थे:

i. परिवार अंतर्राष्ट्रीय सीमा/एलओसी से 0-5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा /एलओसी के पास हैं।
ii. परिवार के पास टीवी/एलसीडी होना चाहिए।
iii. परिवार के पास औपचारिक बिजली का कनेक्शन चाहिए।
iv. पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करते समय समिति द्वारा सीमा से परिवार की दूरी दर्ज की जाएगी।
v. बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
vi. परिवार (लाभार्थी (के पास मोबाइल मोबाइल फोन होना चाहिए क्योंकि पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर पहली आवश्यकता है।
vii. प्राथमिकता उन घरों को दी जानी चाहिए, जिनके पास टेलीविजन केबल नेटवर्क की पहुंच नहीं है।"

16. समिति ने नोट किया था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दूरस्थ, ग्रामीण और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) वितरित करने की योजना बनाई थी जो कि प्राय: डार्क एरियाज हैं, गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में तथा अपने प्रयास से उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 30,000 एसटीबी वितरित किए थे तथा एसटीबी के और वितरण का कार्य चल रहा है। समिति चाहती थी कि एसटीबी के वितरण हेतु मानदंड अपनाएं जाएं तथा वर्ष 2020-21 के दौरान एसटीबी के वितरण हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। यद्यपि मंत्रालय ने एसटीबी के वितरण हेतु सूचना प्रदान की है। 2020-21 के दौरान एसटीबी के वितरण हेतु लक्षित संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। समिति यह

जानना चाहती है कि क्या इसके लिए अपनाए गए मानदंड के आधार पर 2020-21 के दौरान एसटीबी के लाभार्थियों की पहचान पर ली गई है और वर्ष के दौरान कितने एसटीबी वितरित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त वितरण हेतु एसटीबी की संख्या में उपयुक्त रुप से इतनी वृद्धि की जाए कि दूरस्थ, ग्रामीण और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पूरी सूचना सुलभ हो और वे प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया के अभाव के कारण उससे वंचित न हों।

(सिफारिश क्रम संख्या 11)

17. समिति ने नोट किया कि डीडी फ्री डिश सहित विभिन्न निर्गत प्लेटफॉर्मों के माध्यम से समूचे भारत में सत्रह)17) 24x7 क्षेत्रीय चैनल कार्यरत तथा उपलब्ध हैं तथा इन क्षेत्रीय चैनलों के अलावा, प्रसार भारती ने समूचे भारत में पहुंच बढ़ाने हेतु मार्च, 2019 में डीडी फ्री डिश पर सीमित अवधि वाले ग्यारह (11)डीडी क्षेत्रीय चैनल उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय/प्रसार भारती उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से इन चैनलों को 24x7 चैनल में बदलने के लिए प्रयास कर रहा है। पहले चरण में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के चैनलों को 24x7 चैनलों में बदलने की योजना है। आगे इसके अध्ययन और मूल्यांकन के आधार पर, क्लाउड आधारित आर्किटेक्चर वाले मौजूदा चैनलों को ऑटोमेटेड प्लेआउट में बदलने के अलावा शेष चैनलों को 24x7 संचालन हेतु स्वचालित किए जाने की योजना थी। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि सभी डीडी क्षेत्रीय चैनलों को 24x7 संचालन के लिए तैयार करने हेतु प्रस्तावित समय-सीमा तथा इस संबंध में 2020-21 के लिए तय किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों से उसे अवगत कराया जाए।

18. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:-

> "डीडी केंद्र देहरादून, डीडी केंद्र रायपुर और डीडी केंद्र रांची में तकनीकी अवसंरचना को इन स्थानों से चलने वाले क्षेत्रीय चैनलों के लिए 24X7 आधार पर प्रसारण / निर्माण के लिए उन्नत बनाया गया है। दिनांक 01.04.2020से 24x 7आधार पर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमित समय के क्षेत्रीय चैनलों का प्रचालन शुरू किया गया है। वर्तमान कोविड -19 संकट काल में, प्रसार भारती ने अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके 13.04.2020 सेएक नया 24X7 जीईसीचैनल "डीडी रेट्रो" शुरू किया है, जिसमें प्रतिष्ठित और अभिलेखीय सामग्री

दिखाने के लिए, जिसका दर्शकों द्वारा स्वागत किया गया है, और चैनल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है।

इसके अलावा, कोविड -19 संकट के दौरान समाचारों और समसामयिक सूचना के प्रसार हेतु 24x7 प्रसारण करने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में, शेष आठ सीमित समय के चैनलों के प्रसारण को 02.04.2020 से बढ़ाया गया है। ऐसा 24x7 प्रसारण सुनिश्चित करने हेतु हिंदी/अंग्रेजी में मौजूदा न्यूज सामग्री का पुन :उपयोग किया गया है ताकि इन चैनलों पर कोई खाली समय न रहे। यह संबंधित केंद्रों में वर्तमान में उपलब्ध सीमित तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके किया गया है ।

तथापि, स्थानीय /क्षेत्रीय सामग्री के साथ इन चैनलों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम निर्माण और समाचार निर्माण के क्षेत्र में और आगे तकनीकी उन्नयन आवश्यक हो सकता है। स्वचालित प्लेआउट सुविधाओं के अलावा निर्माण उपरांत और बाह्य कवरेज सुविधाओं को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रौद्योगिकी विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है ।"

19. समिति संतोष के साथ यह नोट करती है कि योजनानुसार प्रसार भारती ने दूरदर्शन केन्द्र देहरादून, दूरदर्शन केन्द्र रायपुर और दूरदर्शन केन्द्र रांची से उद्भूत क्षेत्रीय चैनलों के लिए 24X 7 आधार पर प्रसारण/निर्माण के लिए इन केन्द्रों में तकनीकी अवसंरचना का स्तरोन्नयन किया है और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमित घंटे क्षेत्रीय चैनल 01.04.2020 से 24X 7 आधार पर कार्य कर रहे हैं। इसके आईकोनिक और अभिलेखीय कंटेंट को दिखाने के लिए 13.04.2020 से अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करते हुए नया 24X 7 जीईसी चैनल "डीडी रेट्रो" शुरु किया गया है। इसके अतिरिक्त अंतरिम उपाय के रुप में शेष 8 सीमित घंटे वाले चैनलों के प्रसारण को 02.04.2020 से बढ़ाया गया है और इन केन्द्रों में उपलब्ध वर्तमान सीमित तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड-19 संकट के दौरान समाचार तथा समसामयिक सूचना का 24X 7 प्रसारण किया जा सके।

समिति को सूचित किया गया है कि स्थानीय/क्षेत्रीय कंटेंट के साथ इन चैनलों के संवर्द्धन के लिए कार्यक्रम निर्माण और समाचार निर्माण के क्षेत्र में और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए स्वचालित प्ले-आऊट सुविधाएं और तकनीकी विकल्प के अतिरिक्त पश्च-निर्माण और बाहरी कवरेज सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। समिति को विश्वास है कि प्रसार भारती जनमानस तक सूचना की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय/क्षेत्रीय कंटेंट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सभी गंभीर प्रयास करेगी। समिति चाहती है कि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय-सीमा से इसे अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम संख्या 13)

<u>मानव संसाधन</u>

20. समिति ने गंभीर चिंता के साथ यह नोट किया कि आकाशवाणी के 26129 कर्मियों की कुल स्वीकृत पदों में से प्रोग्राम विंग, इंजिनियरिंग विंग, न्यूज विंग तथा प्रशासनिक विंग में 13395 (48% (पद रिक्त हैं; तथा इसी प्रकार दूरदर्शन में कार्मिकों के 19662 कुल स्वीकृत पदों में से इसके विभिन्न विंग्स में 7919 (59.72 प्रतिशत (पद रिक्त हैं। इस प्रकार यह दुखद है कि एक सार्वजनिक प्रसारक को कार्यक्रमों की गुणवत्ता के साथ समझौता करने दिया जा रहा है। हाल ही में, जारी श्रमशक्ति लेखा परीक्षा ने ऐसे कई क्षेत्रों, यथा, बिक्री, विपणन, डिजिटल एवं आईटी, रचनात्मक एवं सामग्री रणनीति तथा कॉर्पोरेट रणनीति एवं योजना, की पहचान की है जहां दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा आवश्यक कौशल तथा संसाधनों एवं वर्तमान श्रमशक्ति के बीच मेल नहीं है। समिति ने इस संबंध में प्रगति के बारे में पूरे विवरण के साथ अवगत कराए जाने की इच्छा व्यक्त की।

21. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

> "प्रसार भारती की कार्मिक शक्ति का लेखापरीक्षा करने वाली एजेंसी, मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी ने 13.11.2019 को कार्मिक शक्ति लेखापरीक्षा की संशोधित अंतिम रूप सेतैयाररिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसे 04.02.2020 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 159वें बैठक में रखा गया था। बोर्ड ने कुछ टिप्पणियां की और बोर्ड

ने आवश्यकता अनुसार सभी विस्तृत विवरण, संशोधन, स्पष्टीकरण और सुधार करने के बाद,सीईओ को अंतिम रूप से तैयार रिपोर्ट की स्वीकृति सहित एम/एस ई एंड वाई एलएलपी से देय सभी शेष अपेक्षित लक्ष्यों को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है।

वर्तमान में मौजूदा कार्मिक शक्ति और कौशल तथा प्रसार भारती में उपलब्ध संसाधनों के बीच विसंगति को ठीककरने और रिपोर्ट में प्रस्तावित भावी योजना बनाने के लिए विस्तृत ब्यौरा तैयार करने का काम चल रहा है । इसके बाद प्रसार भारती द्वारा अंतराल कोपाटने और आकाशवाणी और दूरदर्शन के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसार भारती द्वारा एक कार्यान्वयन योजना बनाई जाएगी।"

22. समिति को पता चला है कि मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी ने 13.11.2019 को प्रसार भारती की श्रमशक्ति की जांच पर अपनी संशोधित अंतिम रिपोर्ट दी है जिसे 04.02.2020 को हुई 159 प्रसार भारती की बैठक में रखा गया। इस पर अवलोकन करने के बाद बोर्ड ने सीईओ को सभी ब्यौरे, आशोधनों, स्पष्टीकरणों और सुधार, जो आवश्यक पाया गया, के बाद अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने सहित मैसर्स ईएंडवाई एलएलपी से देय सभी शेष प्रदेय की अंतिम स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति यह देखकर आश्चर्यचकित है कि 04.02.2020 से 6 माह के बाद भी ब्यौरा लेने का कार्य अभी भी चल रहा है जो प्रसार भारती में उपलब्ध वर्तमान श्रमशक्ति और कुशल श्रमशक्ति और संसाधनों के बीच असंगतता को दूर करेगा और रिपोर्ट में भावी प्रस्तावित रोडमैप भी देगा। बताया गया है कि ब्यौरा लेने के बाद ही प्रसार भारती द्वारा कार्यान्वयन योजना बनायी जाएगी ताकि दूरदर्शन और आकाशवाणी की कमी को पाटा जा सके और भावी जरुरतों को पूरा किया जा सके। अपनी वर्तमान श्रमशक्ति और कौशलों तथा संसाधनों आदि के संबंध में मामलों से निपटने की प्रसार भारती के ऐसे ढुलमुल रवैए को गंभीरता से लेते हुए समिति प्रसार भारती की अपने निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर तीव्रता से कार्रवाई करने का अनुरोध करती है। समिति को विश्वास है कि प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन की भावी जरुरतों को पूरा करने के लिए तीव्रता से अपेक्षित कार्रवाई करेगी।

(सिफारिश क्रम संख्या 15)

23. समिति यह जानकर व्यथित है कि प्रसार भारती के सांस्थानिक ढांचे तथा सरकार के साथ इसके संबंधों की समीक्षा करने तथा प्रसार भारती में नई जान फूंकने के लिए गठित सैम पित्रोदा समिति ने फरवरी, 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, किंतु, मंत्रालय ने आज तक इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया है। । समिति विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने में देरी के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क, कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के लिए मंत्रालय तथा प्रसार भारती के विभिन्न प्रभागों द्वारा कार्रवाई किया जाना शेष है, जो कि एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, को उपयुक्त नहीं मान सकती थी। मंत्रालय के प्रायः दोहराए जाने वाले उत्तर से संतुष्ट न होते हुए समिति, सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा और संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। समिति ने आगे यह इच्छा भी व्यक्त की कि मंत्रालय/प्रसार भारती इस संबंध में और अधिक विलंब करने से बचें।

24. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:-

> "श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने 24.01.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने आठ विभिन्न विषयों पर 26 सिफारिशें दीं जो इस प्रकार हैं:
> (i) शासन और संगठन , (ii) वित्तपोषण, (iii) मानव संसाधन, (iv) सामग्री, (v) प्रौद्योगिकी, (vi) संग्रह, (vii) सोशल मीडिया , और)viii) वैश्विक संपर्क।
>
> समिति की सिफारिशों की जांच की गई हैऔर मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाए गए हैं।"

25. फरवरी, 2014 में प्रस्तुत सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में असाधारण विलंब पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए समिति मंत्रालय से और विलंब करने से बचने का अनुरोध करती है। मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में सूचित किया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच की गई है और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत

सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि समिति सरकार के उत्तर को भ्रामक पाते हुए जानना चाहती है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई 26 सिफारिशों में से कितनी स्वीकार की गई हैं और वे किन विषयों अर्थात् (1) शासन और संगठन, (2) वित्त पोषण, (3) मानव संसाधन, (4) कंटेंट, (5) प्रौद्योगिकी, (6) अभिलेख, (7) सोशल मीडिया और (8) वैश्विक पहुंच के अंतर्गत आते हैं। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं की गई प्रत्येक सिफारिश का सारांश दिया जाए और इसे स्वीकार नहीं किए जाने के कारण बताएं।

(सिफारिश क्रम संख्या 18)

26. समिति ने नोट किया कि पिछले चार वर्षों के दौरान प्रसार भारती द्वारा सृजित निवल आईईबीआर लगभग स्थिर है। 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमश :लक्षित निवल आईईबीआर 2212 करोड रुपए, 1425 करोड़ रूपए, 1388 करोड़ रुपए और 1596 करोड़ रुपए की तुलना में प्राप्त किया गया आईईबीआर क्रमश : 1378.50 करोड़ रुपए, 1304.26 करोड़ रुपए, 1355.36 करोड़ रुपए और 1401.83 करोड़ रुपए रहा। आगे, इन वर्षों के दौरान कार्यक्रम निर्माण के लिए आईईबीआर का उपयोग क्रमशः केवल 39.77 प्रतिशत, 39.40 प्रतिशत, 33.61 प्रतिशत और 33.40 प्रतिशत ही रहा। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि प्रसार भारती उपलब्ध कराई गई निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए गंभीर प्रयास करे तथा आगे चलकर वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम इकाई बनने और बाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करे। समिति ने आगे यह भी इच्छा व्यक्त की उसे 2019-20 के दौरान निर्धारित आईईबीआर लक्ष्य और उसके मुकाबले प्राप्ति तथा वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित आईईबीआर लक्ष्य से अवगत कराया जाए।

27. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"जैसा कि प्रसार भारती द्वारा अग्रेषित किया गया, वर्ष 2019-20 के लिए प्रसार भारती के राजस्व आंकड़े और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े करोड़ रुपए में(

प्रसार भारती स्कन्ध	राजस्व शीर्ष	लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2019-20	उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2019-20	प्रस्तावित लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21

आकाशवाणी	व्यावसायिक	555.44	644.92	305.23	377.17	342.06	414.00
	संसाधन	89.48		71.94		71.94	
डीडी	व्यावसायिक	704.14	1004.14	348.83	852.69	499.99	996.00
	डीटीएच	300.00		503.86		496.01	
कुल योग			**1649.06**		**1229.86**		**1410.00**

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रसार भारती ने विविध प्राप्तियों, अन्य संसाधनों)रिकॉर्डिंग/प्रशिक्षण(और सावधि जमा से क्रमश: 15.95 करोड़ रुपये, 7.29 करोड़ रुपये और Rs.111.43 करोड़ रु .का राजस्व अर्जित किया।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य का कम होना मौजूदा कोविड-19 संकट और आगे के अनिश्चित समय के कारण है।

प्रसार भारती के अनुसार, राजस्व के कई अवसर लोक सेवा प्रसारक के रूप में इसकी प्राथमिक भूमिका के कारण निरन्तरबाधित हैं। जबकि वीवीआईपी कवरेज और राष्ट्रीय महत्व के अन्य समान कवरेज लोक प्रसारक द्वारा गैर-विमुद्रीकृत होते हैं, वही इन्हें सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में बिना किसी लागत पर निजी प्रसारकों को भी वितरित किया जाता है जो बिना किसी बाधा के इसका मुद्रिकरण करते हैं। प्रसार भारती राष्ट्रीय हित, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विविध संस्कृतियों के लिए पर्याप्त कवरेज और विभिन्न क्षेत्रों की भाषा से संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए बाध्य है, जिनका वाणिज्यिक उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। प्रसार भारती ने हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों को लोक सेवा प्रसारक की भूमिका को पूरा करने के लिए बहुत कम दरों पर कोविड -19 महामारी के कारण शैक्षिक सामग्री चलाने के लिए स्लॉट प्रदान किए हैं।

इसके अलावा, चूंकि दूरदर्शन की सेवाएं फ्री टू एयर)एफटीए (हैं और कई निजी वाणिज्यिक चैनलों के विपरीत कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, इस प्रकार विज्ञापन राजस्व का एक मात्र स्रोत बने रहते हैं और जिस पर भी कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों पर खर्चों को कम किया गया है।"

28. समिति यह नोट कर निराश है कि वर्ष 2019-20 के दौरान प्रसार भारती 1649.06 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायी है और उपलब्धि मात्र 1229.86 करोड़ रुपए रही। इसके अतिरिक्त 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को वर्तमान कोविड-19 संकट और भावी अनिश्चित समय के कारण कम करके 2019-20 के 1649.06 करोड़ रुपए की तुलना में 1410 करोड़ रुपए रखा गया है। समिति के लिए यह थोड़ी सांत्वना की बात है कि 2019-20 के दौरान प्रसार भारती ने विविध प्राप्तियों, अन्य संसाधनों (रिकॉडिंग/प्रशिक्षण और सावधि जमा पर ब्याज) में क्रमश: 15.95 करोड़ रुपए, 7.29 करोड़ रुपए और 111.43 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। समिति महसूस करती है कि प्रसार भारती राजस्व सृजन के लिए अवसरों/संभावनाओं की तलाश करने के लिए गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे रही है जो विज्ञापन और स्पांशरशिप की अनुमति देने, अग्रणी बाजार भागीदारों के साथ संबंध, अपने अभिलेखीय खजाने को राजस्व के स्रोत के रुप में उपयोग करने आदि के रुप में हो सकता है। कोविड संकट के कारण अभिभावी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है कि मंत्रालय/प्रसार भारती अपने नए राजस्व स्रोतों की पहचान करे और अपने राजस्व बढ़ाने के लिए मितव्ययिता उपाय भी करे और दीर्घ अवधि में अपनी कंपनी को वाणिज्यिक रुप से व्यवहार्य बनाए तथा आत्मनिर्भर बनाए।

(सिफारिश क्रम संख्या 20)

<u>विकास संचार और फिल्म विषय-वस्तु का प्रसार (डीसीडीएफसी)</u>

29. समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में नोट किया था कि कि 2019-20 के दौरान, डीसीडीएफसी के तहत किया गया व्यय कम रहा है, जो कि विभिन्न फिल्म समारोहों में भाग लेने और फिल्मों के मूल निर्माण, फिल्मों के विपणन से संबंधित है। तथापि समिति ने आशा व्यक्त की कि जैसा कि उसे आश्वासन दिया गया था, मंत्रालय 2020-21 के दौरान फिल्म समारोहों में अपनी सहभागिता बढ़ाकर तथा विभिन्न राज्य सरकारों को लघु फिल्म समारोह आदि आयोजित करने में सहायता प्रदान कर बेहतर प्रदर्शन करेगा।

30. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

> "समिति के सुझावों का पालन किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान डीसीडीएफसी स्कीम के तहत 115.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की

गई है । वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में डीसीडीएफसी स्कीम के तहत किया गया कुल व्यय 6.12करोड़ रु .हैं। व्यय ,महामारी की वजह से फिल्म समारोहों के लिए निश्चित की गई राशि में गैर-भागीदारी के कारण कम रहा है।"

31. विभिन्न फिल्मोत्सवों और मुख्य फिल्म निर्माण, फिल्मों के विपणन भागीदारी के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान डीसीडीएफसी के तहत कम व्यय पर ध्यान देते हुए समिति को वर्ष 2020-21 के दौरान मंत्रालय से बेहतर निष्पादन की आशा थी। की-गई-कार्रवाई उत्तर में समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान डीसीडीएफडीसी योजना के तहत आवंटित 115.50 करोड़ रुपए में से मंत्रालय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में मात्र 6.12 करोड़ रुपए खर्च कर सका, जो कि प्रसन्नता की बात नहीं है। महामारी के कारण नियत फिल्मोत्सवों के लिए कम भागीदारी को कम व्यय का कारण बताया गया है। यद्यपि समिति देश में कोरोना वायरस के प्रसार के कारण मंत्रालय को हो रही चुनौतियों को समझती है। तथापि समिति चाहती है कि मंत्रालय अपने तंत्र को सुदृढ़ बनाए और विलंब को पाटने के लिए अपने प्रयास जारी रखे तथा वर्ष के लिए लक्षित परियोजना को पूरा करे ताकि डीसीडीएफसी के अंतर्गत बजटीय आवंटन का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

(सिफारिश क्रम संख्या 21)

<u>राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन)एनएफएचएम(</u>

32. समिति यह नोट कर चिंतित थी कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का उद्देश्य फिल्मों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करना है, तथापि, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (जनवरी, 2020 तक(, के दौरान योजनाओं में किया गया व्यय नगण्य रहा है। 50.00 करोड़ रुपए, 57.78 करोड़ रुपए और 22.48 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर काफी कम करके क्रमशः 6.02 करोड़ रुपए, 15.00 करोड़ रुपए और 3.61 करोड़ रुपए कर दिया गया, वास्तविक व्यय क्रमशः 6.02 करोड़ रुपए, 10.51 करोड़ रुपए और 3.33 करोड़ रुपए रहा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने स्वीकार किया था कि एनएचएफएम से संबंधित कार्य में देरी हुई थी क्योंकि इस बात का निर्णय नहीं लिया जा सका था कि निर्माण गतिविधियां कौन करेगा। तथापि, उन्होंने सूचित किया कि अब

एनबीसीसी को निविदा मिली है और वह निर्माण गतिविधियां शुरू करेगा। तथापि, समिति ने मंत्रालय को आगाह किया कि उसे ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करते समय किसी भी कीमत पर अपनी तरफ से ऐसे ढीले रवैये से बचना चाहिए। साथ ही समिति ने यह आशा व्यक्त की कि परियोजना अभिकल्पित तथा आश्वस्त किए गए स्वरूप में शुरू होगी।

33. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) ने एनएफएचएम से संबंधित कार्य के भाग के रूप में ''एनएफएआई में वैश्विक मानकों के भण्डारण की सुविधा)वाल्ट (केनियोजन, डिजाइनिंग और निर्माण'' के बारे में एनबीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू(पर हस्ताक्षर किए हैं । भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए निष्पादन एजेंसी अब स्थापित है और इसे नियमित रूप से काम की समीक्षा करने के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है। एनएफएचएम की तकनीकी समिति द्वारा बार-बार समीक्षाओं को आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग करने के लिए शुरू किया गया है। उच्च स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना की समीक्षा कर रही हैं।

इसके अलावा, विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं अर्थात'फिल्म सामग्री का डिजिटीकरण', फिल्म सामग्री का जीर्णोद्धार' और 'आईटी समाधान', को गति देना सुनिश्चित किया जा रहा है, जैसे कि निष्पादन एजेंसियां ,एनएफएचएम स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और आवंटित निधि के उचित उपयोग के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से नियुक्त की जाती हैं।

स्कीमों के युक्तिकरण के बाद, एमएफएचएम स्कीम के तहत आवंटन को 'डीसीडीएफसी' स्कीमके आवंटन के भीतर मिला दिया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान एमएफएचएम स्कीम के तहत 15.48 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

मई 2020 के अंत तक, वर्ष 2020-21 के दौरान एमएफएचएम स्कीम के तहत किया गया कुल व्यय 41.52 लाख रु .है।"

34. समिति को इन तथ्यों को देखते हुए कुछ संतोष है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेख (एनएफएआई) में एनएफएचएम से संबंधित कार्य के भाग के रुप में एनएफएआई ने वैश्विक मानकों की आयोजना, डिजाइनिंग और भंडारण सुविधा का निर्माण (वॉल्ट) से संबंधित एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन किया है। अब भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्य की नियमित निगरानी की जा रही है। आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग करने के लिए एनएफएचएम की तकनीकी समिति शुरु की गई है। उच्च-स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रुप से हो रही हैं जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना की समीक्षा कर रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं यथा फिल्म कंटेंट का डिजिटीकरण, फिल्म कंटेंट को पहले जैसा रखने और "सूचना प्रौद्योगिकी समाधान" में गति लाना सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों को एनएफएचएम योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विद्यमान प्रक्रियाओं के अनुसार समय पर कार्यरत किया जा सके। समिति को आशा है कि गंभीर और सतत प्रयासों से 2020-21 के दौरान एनएफएचएम योजना के अंतर्गत 15.48 करोड़ रुपए का पूरी तरह से उपयोग होगा। देश की सिनेमाई विरासत के संरक्षण के उद्देश्य वाली एनएफएचएम योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

अध्याय दो

सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

(सिफारिश क्रम संख्या 1)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट तीन क्षेत्रों अर्थात फिल्म क्षेत्र, सूचना क्षेत्र और प्रसारण क्षेत्र)प्रसार भारती सहित (में फैला हुआ है। समिति नोट करती है कि इष्टतम परिणाम प्राप्ति हेतु संसाधनों की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार वित्त वर्ष 2020-21 से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 201920 में 14योजनाओं में से वित्त वर्ष 21-2020 में सीएसएस के अंतगर्त केवल 5योजनाएं रही अर्थात)एक (विकास संचार और सूचना प्रसार)डीसीआईडी(, (दो (फिल्मी विषय का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी(, (तीन (चैंपियन सेवा क्षेत्र, (चार (प्रसारण बुनियादी ढांचा विकास)प्रसार भारती (और)5) सपोर्टिंग कम्यूनिटी रेडियो। मंत्रालय के अनुसार संसाधनों का समेकन उपयोग में लचीलापन प्रदान करेगा जिसके परिणामस्वरूप निधियों का बेहतर उपयोग होगा और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा। 5 योजनाओं के घटक को 'संस्थापना व्यय' में डाल दिया गया है जबकि 4 योजनाओं के घटक को 'अन्य केंद्रीय व्यय' में डाल दिया गया है। समिति विश्वास करती है कि इन प्रयासों से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी और इस प्रकार वांछित परिणाम हासिल होंगे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मंत्रालय समिति के समग्र विचारों से सहमत है। संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग तथा व्यय में सुधार के लिए, मंत्रालय द्वारा 21-2020में स्कीमों का व्यापक युक्तिकरण और पुनर्गठन लागू किया गया था। 14केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों)सीएसएस (के युक्तिकरण के पश्चात,अब मंत्रालय की केवल 5केंद्रीय क्षेत्र स्कीम हैं। इसका उद्देश्य इष्टतम उपयोग और परिणाम के लिए संसाधनों के कम फैलाव से बचने के लिए खंडित योजनाओं को समेकित करना था। इसके अलावा,विशुद्ध रूप से प्रशासनिक स्वरूप वाली स्कीमों को स्थापना व्यय और अन्य केंद्रीय व्यय -श्रेणी में स्थानांतरित किया गयाहै।

संसाधनों का समेकन उपयोगमें लचीलापन आएगा जिससे निधि का बेहतर उपयोग हो सकेगा और प्रत्येक क्षेत्र लाभान्वित होगा।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं .डब्ल्यू-2020/06/11-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

दो. <u>वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की मांगे</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 3)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 740 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है जो वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए 900 करोड़ रुपये के आवंटन से 160 करोड़ रुपये कम हैं। समिति को बताया गया है कि वर्ष के दौरान सीएसएस के यौक्तीकरण के कारण सीएसएस के अंतर्गत आवंटन में कमी हुई है और स्थापना व्यय तथा अन्य केंद्रीय व्यय के अंतर्गत आवंटन में तद्नुरूप वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान मंत्रालय के बजट अनुदान हेतु सकल आवंटन 4375.21 करोड़ रूपए था जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए आवंटन के बराबर है।

समिति को यह नोट करके खेद है कि मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए फिल्म सेक्टर, सूचना क्षेत्र और प्रसार क्षेत्र)प्रसार भारती सहित (के तहत अपनी परियोजनाओं/योजनाओं को निष्पादित करने के लिए 817 करोड़ रु .के आवंटन का प्रस्ताव किया, तथापि, वित्त मंत्रालय ने केवल 740 करोड़ रु .अनुमोदित किए। तथापि, समिति को आश्वासन दिया गया है कि कम आवंटन मंत्रालय के कार्यनिष्पादन को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इस पर किए गए व्यय के आधार पर मंत्रालय के पास अनुपूरक अनुदान या संशोधित अनुमान)आरई (के स्तर पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि लेने का विकल्प है। समिति को आशा है कि मंत्रालय इस वर्ष के दौरान बेहतर प्रदर्शन करेगा और संशोधित अनुमान 2020-21 में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि होगी।

सरकार का उत्तर

योजना स्कीमों के युक्तिकरण और पुर्नगठन से निश्चित रूप से कार्यान्वयन स्तर पर उनका बेहतर निष्पादन और निगरानी सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर पर नियमित निगरानी से समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं .डब्ल्यू-2020/06/11-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

(सिफारिश क्रम संख्या 4)

समिति संशोधित अनुमान स्तर पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजटीय आवंटन में सतत कमी से क्षुब्ध है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 840 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में 28.83% की कमी हुई और यह 597.77 करोड़ रुपए रह गया। मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान के स्तर पर कमी सामान्यत :व्यय की गति से संबंधित है। समिति को विश्वास है कि पिछले वर्ष के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमान 2018-19 में 735.05 करोड़ रुपये का कम बजटीय आवंटन हुआ था। पुन :बजट अनुमान स्तर पर 2018-19 में संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन घटाकर 712.66 करोड़ रु .हो गया। समिति आगे पाती है कि 2019-20 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 900 करोड़ रुपये रु .के बजटीय आवंटन का कम उपयोग काफी चिंताजनक था जिसके परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय ने आवंटन को 30.51% घटाकर 625.39 करोड़ रु .कर दिया। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि 30.09.2019 तक, मंत्रालय बजट अनुमान 2019-20 में आवंटित निधियों का मात्र 31.03% ही व्यय किया था । उपरोक्त को ध्यान में रख कर समिति मंत्रालय में खराब बजटीय प्रक्रिया से चिंतित है। अतः, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि इसके तीनों क्षेत्रों की निधियों की आवश्यकताओं का निर्धारण वास्तविक अनुमान के आधार पर किया जाना चाहिए जिससे बजटीय प्रक्रिया को अधिक सार्थक एवं सटीक बनाया जा सके।

सरकार का उत्तर

625.39करोड़ रु .के संशधित अनुमान के विरूद्ध वर्ष 20-2019के दौरान मंत्रालय ने 607.21करोड़ रु 97) .प्रतिशत (का व्यय दर्ज किया।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा 7 देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या 5)

समिति इस तथ्य को गंभीरता से नोट करती है कि विगत 3 वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन के अल्प उपयोग का मुख्य कारण प्रमुखत :प्रसार भारती की परियोजनाओं/योजनाओं का गैर निष्पादन रहा है क्योंकि मंत्रालय हेतु किए जाने वाले कुल योजना आवंटन का एक बड़ा हिस्सा प्रत्येक वर्ष इस संगठन के लिए किया जाता है। मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान यह बताया कि वर्ष 2019-2020 के दौरान लगभग 200 करोड़ रुपए प्रसार भारती को उपलब्ध कराए गए थे जिसकी बड़ी धनराशि दूरदर्शन के लिए और कतिपय राशि आकाशवाणी को दी गई थी तथापि, प्रसार भारती द्वारा कार्यक्रमों को आरंभ किए जाने संबंधी प्रक्रिया, जिसे स्पष्ट करने में काफी समय लगा, के कारण राशि व्यय नहीं की जा सकी। समिति ने आगे यह नोट कर असंतोष प्रकट किया कि वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के दौरान घटाए गए आवंटन का भी इष्टतम उपयोग नहीं किया गया और उपयोग क्रमशः 83.88 प्रतिशत और 92.16% रहा। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान 625.39 करोड़ के संशोधित अनुमान में से फरवरी 2020 तक 83.71% निधियों का उपयोग किया जा सका और आशा है कि निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए कि अंतिम तिमाही/महीने में 25% और 10% तक का व्यय किया जाना चाहिए, समिति को निधियों के कम उपयोग की आशंका है। अत :समिति यह सिफारिश करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय रहते उपाय करे और

अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियों के तिमाही उपयोग के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करे, अन्यथा इसके कारण वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों में कमी रह जाएगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रसार भारती ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उसके द्वारा किए गए विभिन्न उपायों सेवर्ष 19-2018में किए गए 67.78% व्यय की तुलना मेंवर्ष-2019 20में 90.22%का समग्र व्यय लक्ष्य प्राप्त किया है। तथापि,वित्तीय वर्ष 20-2019की अंतिम तिमाही में ,कोविड 19-महामारी के कारण यात्रा और परिवहन पर कई प्रतिबन्ध थे जिनसे निधियों का संपूर्ण उपयोग बाधित हुआ।

वर्ष 20-2019में प्रसार भारती को सामग्री विकास के लिए प्रदान की गई 117.02 करोड़ रु .में से 103.15करोड़ रु88.15) .% (की राशि का वित्तीय वर्ष 20-2019के अंत तक संपूर्ण उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 20-2019की अंतिम तिमाही मे लॉकडाउन के कारण लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सका जिससे नए अधिग्रहित कार्यक्रमों के पूर्वावलोकन सहित सामग्री निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हुई।

वर्ष 20-2019में पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन के लिए प्रदान किए गए 200.24 करोड़ रुपए में से, 185.31 करोड़ रु92.54) .%) की राशि का वित्तीय वर्ष 20-2019के अंत तक उपयोग किया गया है। आवंटित राशि का पूर्णत :उपयोग नहीं कर पाने का मुख्य कारण देश में कोविड 19-महामारी और लॉकडाउन है जैसा कि कुछ उपकरणों की आपूर्ति नहीं की जा सकी और विभिन्न उपकरणों का शेष भुगतान मार्च 2020में नहीं किया जा सका, क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 21-2020के दौरान निधियों केउपयोग के संबंध में ,प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पूंजीगत स्कीमों और सामग्री विकास के लिए त्रैमासिक भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है और इनकी ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी कीजा रही है। चालू वित्तीय वर्ष की शुरूआत से ही आंवटित बजट की उपयोग करने के सभी प्रयास किए जा रहे है।

चालू वित्तीय वर्ष के आंवटित बजट का उपयोग करने के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय पर खरीद की कार्रवाई और निगरानी की जा रही है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

<u>प्रसारण क्षेत्र)प्रसार भारती सहित(</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 6)

समिति को यह नोट करके निराशा हुई कि प्रसार भारती सं.अ .2017-18 और सं.अ .2019-20 स्तर पर आवंटन राशि में काफी कटौती किए जाने के बाद भी गत तीन वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन का उपयोग करने में बुरी तरह से विफल रहा है। 2017-18 के दौरान 430 करोड़ रुपए और 282 करोड़ रुपए के ब.अ .और सं.अ .की तुलना में उपयोग 201.57 करोड़ रुपए)71.47 प्रतिशत (रहा। 2018-19 के दौरान 315.70 करोड़ रुपए और 326.74 करोड़ रुपए के ब.अ .और सं.अ .की तुलना में उपयोग 222.58 करोड़ रुपए)68.12 प्रतिशत (था। साथ ही, 2019-20 के दौरान 473.00 करोड़ रुपए और 317.36 करोड़ रुपए के ब.अ .और सं.अ .की तुलना में उपयोग 149.93 करोड़ रुपए)दिसंबर, 2019 तक(है। समिति को आशंका है कि अंतिम तिमाही/महीने में खर्च करने पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण प्रसार भारती उपलब्ध निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। गत दो वर्षों के दौरान निधियों के कम उपायेग के मुख्य कारण एसएफसी मोड के माध्यम से उन्हें शुरु करने के बजाय डीडी किसान हेतु कार्यक्रम 'इन हाउस' बनाने के लिए लिया गया निर्णय, अनेक यात्रा वृत्तांत आधारित कार्यक्रमों का निर्माण नहीं किया जाना और रियल्टी शो को अगले वर्ष के लिए आस्थगित करना, लॉजिस्टिक कारणों से रियलिटी शो 'महिला किसान अवार्ड्स' को अंतिम रुप नहीं दिया जाना, कर्मचारियों की कमी और खराब मौसम तथा सड़क की खराब स्थिति के कारण पूर्वोत्तर के केंद्रों सहित प्रसार भारती के डीडी केंद्रों द्वारा डीडी किसान चैनल हेतु कार्यकम निर्माण के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया जाना, एचडीटीवी स्टूडियों की

स्थापना, 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए प्रसार भारती को अनुदान योजना के अंतर्गत डीटीएच प्लेटफॉर्मों का उन्नयन, डिजिटल टेरेस्ट्रियल टीवी)डीटीटी (की खरीद प्रकिया में विलंब और डीडी -अरुण प्रभा चैनल को शुरू किये जाने का कार्य वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में हुआ और चूंकि मंत्रालय द्वारा धनराशि केवल मार्च, 2019 में जारी की गई थीं इसलिए विषय-वस्तु के सृजन की प्रक्रिया केवल मार्च में आरंभ की जा सकी।

समिति निधियों के कम उपयोग के लिए मंत्रालय द्वारा हर वर्ष दोहराए गये इन बहानों को बिल्कुल सहमत नहीं थी जो मंत्रालय के ढुलमुल रवैये को दर्शाता है। समिति का विचार है कि यदि प्रसार भारती ने इस दिशा में सावधानीपूर्वक प्रयास किए होते, तो बताई गई प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता था। समिति चाहती है कि प्रसार भारती को 2020-21 के लिए बजटीय आबंटन के पूर्ण और सफल उपयोग हेतु लक्षित योजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन में किसी प्रकार के विलंब से बचने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए।

<u>सरकार के उत्तर</u>

पूंजीगत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासनिक और प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने के लिए, प्रसार भारतीद्वाराआकाशवाणी और दूरदर्शन की खरीद प्रक्रिया को एकीकृत किया गया है और सभी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ऐसी खरीद हेतु एक एडीजी स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा ,प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 21-2020के लिए लक्षित परियोजनाओं के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये लक्षित परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और इनके 21-2020केदौरान पूरा होने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष की शुरूआत से ही आवंटित बजट का उपयोग करने केलिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रसार भारती का निरंतर प्रयास है कि परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। निगरानी तंत्र को काफी मजबूत किया गया है। खरीद प्रक्रियाओं को सुचारू किया गया है। परियोजना समीक्षा बैठकें नियमित रूप से जोनल स्तर ,"परियोजना निगरानी एवं बजट निगरानी यूनिट" स्तर पर आयोजित

की जा रही हैं और पूंजीगत उपकरणों की खरीद और कार्यों के निष्पादन में शामिल विभिन्न कार्यकलापों का सूक्ष्म रूप से आकलन किया जाता है और लक्ष्य तय किए जाते हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नियमित रूप सेई-ऑफिस ,ई-मेल ,वाट्सऐप ग्रुप और ऑडियो/वीडियो /कॉन्फ्रेंसिंग आदि उपयोग किए जा रहे हैं। ट्रैकिंग के लिए एक डैशबोर्ड और समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उन पर किए गए व्यय की निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है।

सामग्री विकास के लिए प्रदान किया गया बजट मुख्य रूप से डीडी अरुणप्रभा और डीडी किसान चैनल की कमीशनिंग और सेल्फ फाइनेंस कमीशनड)एसएफसी (कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। इस संबंध में, डीडी अरुणप्रभा के लिए 109कमीशन कार्यक्रमों में से 48पूरे हो चुके हैं ,और ये प्रसारण के लिए तैयार हैं। इन 48कार्यक्रमों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है। शेष कार्यक्रम चालू वित्त वर्ष 21-2020की दूसरी तिमाही के अंत तकपूरा होने की आशा है।

डीडी किसान के सेल्फ फाइनेंस कमीशनड)एसएफसी (कार्यक्रमों के संबंध में प्रसार भारती ने मंत्रालय को सूचित किया है कि एसएफसी निर्माताओं के साथ पहले ही करार किए जा चुके हैं और इन कार्यक्रमों का जून 2020से प्रसारण किए जाने का प्रस्ताव है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोविड 19-महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से प्रसारण की सनिर्धारित समय में देरी हुई ,क्योंकि निर्माण और निर्माण उपरान्त की गतिविधियां अचानक रुक गई। इसके अवाला ,डीडी किसान डायमोनियम फास्फेट)डीएपी (मॉड के तहत "सतत् जैविक खेती" पर एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा ,पूर्वोतर केन्द्रों और नेटवर्क में अन्य दूरदर्शन केन्द्रों के सहयोग से इन-हाउस कार्यक्रमों को भी तैयार किया जा रहा है।

लबिंत भुगतान और विरासत मुद्दों का समाधान किया जा रहा है जिससे कि प्रावधानशुदा बजट का प्रभावी ढंग से समयबद्ध तरीके से उपयोग किया जा सके।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

<u>आकाशवाणी और दूरदर्शन का आधुनिकीकरण</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 7)

समिति आकाशवाणी के आधुनिकीकरण हेतु योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों के इष्टतम या लगभग इष्टतम उपयोग पर संतोष व्यक्त करती है। तथापि समिति दूरदर्शन के आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत योजनाओं हेतु आवंटित निधि के कम उपयोग से नाखुश है। दूरदर्शन वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (दिसंबर, 2019 तक (के दौरान क्रमश :118.38 करोड़ रु., 112.17 करोड़ रु . और 211.58 करोड़ रु .के आवंटन की तुलना में क्रमश :52.02 करोड़ रु., 80.08 करोड़ रु .और 77.75 करोड़ रु .का उपयोग कर सका। दिसंबर, 2019 तक व्यय की गति को देखते हुए समिति को आशंका है कि दूरदर्शन हेतु आवंटित निधि का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाएगा। यह संतोषजनक स्थिति नही है। समिति यह भी नोट करती है कि 2020-21 के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के लिए क्रमश : 131.98 करोड़ रु .और 111.05 करोड़ रु .का बजटीय आवंटन किया गया है। आकाशवाणी के मामले में धनराशि का उपयोग ट्रांसमीटरों के आधुनिकीकरण आवर्धन और उनके प्रतिस्थापन, प्रसारण उपकरणों का आवर्धन और उनके प्रतिस्थापन, स्टूडियोज का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, एफएम का विस्तार /उनके प्रतिस्थापन आदि के लिए किया जाएगा और आवंटित धनराशि का उपयोग स्टूडियो योजना, ट्रांसमीटर योजना, उपग्रह प्रसारण योजना और अवसंरचना आवर्धन आदि के लिए किया जाना चाहिए।

समिति ने पाया कि ये अवसंरचना परियोजनाएं सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रगति सुनिश्चित करने और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में महत्वपूर्ण कारक है। अत :मंत्रालय/प्रसार भारती को इसे लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। समिति चाहती है कि मंत्रालय/प्रसार भारती 2020-21 के दौरान निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन आवर्धन में हुई प्रगति से समिति को अवगत कराए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रसार भारती द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ,वित्तीय वर्ष 21-2020में ,चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से ही आंवटित बजट का उपयोग करने के लिए सभीप्रयास किए जा रहे हैं। प्रसार भारती का यह निरंतर प्रयार है कि परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। डैशबोर्ड को विकसित करके निगरानी तंत्र को काफी

मजबूत किया गया हैजिससेप्रसारण अवंसरचना एवं नेटवर्क विकास स्कीम)बीआईएनडी (के तहत सभी परियोजनाओं के विभिन्न चरणों की निगरानी आसान होगी।इसे प्रसार भारती को किसी भी बाधा की सूचना मिलने की स्थिति में समय पर उपाय करने में सक्षम होगा। इसके अलावा ,खरीद प्रक्रियाओं को सुचारू बनाया है।

प्रसार भारती द्वारा स्कीम को लागू करने में देरी से बचने और आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है।

(i) बोली दाताओं की बेहतर भागीदारी को बढ़ाने और निविदा की प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए ,एक मानक प्रचालन प्रोटोकॉल)एसओपी (तैयार किया गया है ,जिससे लागत के अनुमान ,उद्योग प्रतिक्रिया के साथ विनिर्देशन तैयार करने , बोलीदाताओं के प्रश्न ,निविदा खोलने की तिथि को बढ़ाने ,आदि जैसे मुद्दों का समाधान होगा।

(ii) खरीद प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाने के लिए ,निविदा दस्तावेज संशोधित किए जाने की प्रक्रिया में है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

(सिफारिश क्रम संख्या 8)

समिति ने पाया है कि यद्यपि 33 एफएम ट्रांसमीटर टावर स्वीकृत किए गए हैं तथापि स्थल अधिग्रहण या भवन निर्माण, पर्यावरण मंजूरी में विलंब जैसे कारणों से इन्हें या तो अधिस्थापित नहीं किया गया है या ये कार्य नहीं कर रहे हैं एवं कुछ मामलों में मामला संभारिकीय सहायता के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है। यह प्रसार भारती की उदासीनता है कि उसकी ओर से प्रक्रियागत विलंब के कारण लोग एफएम ट्रांसमीटरों के लाभ से वंचित हैं । अतः समिति चाहती है कि सभी स्वीकृत किए गए एफएम ट्रांसमीटरों को प्राथमिकता आधार पर चलाया जाए और समिति को प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रसार भारती जल्द से जल्द ट्रांसमीटरों को चालू करने हेतु सभी प्रयास कर रहा है। सभी 33एफएम ट्रांसमीटर टावरों का कार्य पूरा होने की वतर्मान स्थिति और लक्ष्य तिथि **परिशिष्ट**- एक पर दी गई है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 10 देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या 9)

समिति नोट करती है कि एफएम टांसमीटर्स के आवंटन हेतु मुख्य मानदंड सीमावर्ती क्षेत्रों, एलडब्ल्यूई क्षेत्रों और महत्वाकांक्षी जिलों के स्थल विशेष है। इसके अलावा, एलडब्ल्यूई और सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में, देश भर में कवरेज का निर्णय सुरक्षा/रणनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के परामर्श से लिया जाता है। समिति चाहती है कि मंत्रालय/प्रसार भारती, गृह मंत्रालय के परामर्श से सीमावर्ती क्षेत्रों, एलडब्ल्यूई क्षेत्रों और महत्वाकांक्षी जिलों के सभी स्थलों को एफएम ट्रांसमीटर्स से कवर करे जिससे कि इन क्षेत्रों के लोग एफएम सेवाओं के लाभ से वंचित न हों।

<u>सरकार का उत्तर</u>

महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की दृष्टि से जिनजिलों का दर्जा खराब है उन्हें सुधारने के उद्देश्य से ,नीति आयोग ने 115जरूरतमंद जिलों)गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हितवामपंथ उग्रवाद)एलडब्ल्यूई (प्रभावित 35जिले ,केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा स्थापित 50+ नीति आयोग द्वारा चिन्हित 30जिले (को अंतिम रूप से तय कियाहै ,

सरकार की इन जिलों में सामाजिक संकेतकों को सुधारने की परिकल्पना है। मौजूदा आकाशवाणी की वर्तमान उपस्थिति के साथ-साथ इन 115जिलों तथा इनमें वर्तमान में लागू की जा रही स्कीमों का विवरण **परिशिष्ट- दो** में दिया गया है।

एलडब्ल्यूई प्रभावित और जरूरतमंद जिलों में एफएम कवरेज पर विवरण निम्नानुसार हैः -

जिले	वर्तमान कवरेज)लगभग ( )%)		चल रही परियोजना के पूरा होने के बाद कवरेज)%)	
	क्षेत्र की दृष्टि से	जनसंख्याकी दृष्टि से	क्षेत्र की दृष्टि से	जनसंख्याकी दृष्टि से
एलडब्ल्यूई प्रभावित 35) जिले(	30	45	35	50
शेष जरूरतमंद जिले 80) जिले(	60	65	75	80

सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में ,आकाशवाणी के 103एफएम ट्रांसमीटर हैं ,जो सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज प्रदान कर रहें है। इसके अतिरिक्त ,सीमावर्ती क्षेत्रों में 19 एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना की परियोजनाएं कार्यान्वयन के तहत हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम प्रसारण पर'तथ्य एक नजर में' **परिशिष्ट-** तीन पर दिया गया है।

स्थलीय प्रसारण के अलावा ,आकाशवाणी देशभर के लोगों तक पहुंच के लिए अन्य प्लेटफार्मों का भी उपयोग कर रहा है। वर्तमान में ,आकशवाणी के 38चैनल दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म)डीडी फ्री डिश (पर उपलब्ध हैं और 248से अधिक आकाशवाणी चैनलों और स्टेशनों का 'सीधा प्रसारण' शुरू किया गया है ,जिसे प्रसार भारती की वेबसाइट को ब्राउज करके इंटरनेट के माध्यम से और स्मार्ट मोबाइल फोन पर <न्यूज ऑन एयर> ऐप डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 13 देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या 10)

समिति ने पाया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रणनीतिक स्थलों जैसे कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, में दूरदर्शन चैनलों की पहुंच बढ़ाने का प्रस्ताव किया है तथा जम्मू और कश्मीर में अभी तक 30,000 सेट टॉप बॉक्स)एसटीबी (वितरित किए जा चुके हैं तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से एसटीबी का और आगे वितरण जारी हैं। समिति मंत्रालय द्वारा रणनीतिक क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्सों के वितरण हेतु अपनाए जा रहे मानदंडों तथा 2020-21 के दौरान सेट टॉप बॉक्सों के वितरण हेतु तय लक्ष्य से अवगत होना चाहेगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

सेट टॉप बॉक्स) एसटीबी) का वितरण सूचना और प्रसारण मंत्रालायततथागृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत सुदूर, ग्रामीण और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में किए जाने की योजना है , जो आमतौर पर मीडिया की पंहुच से बाहर होते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाली एक बड़ी आबादी के पास प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया की पंहुच की कमी के कारण जानकारी की सीमित पहुंच है । साथ ही, ऐसे क्षेत्रों में केबल का बुनियादी ढांचा बहुत खराब है। इसके अलावा, यह ऐसे क्षेत्रों में डीडी फ्री डिश को भी लोकप्रिय बनाता है, ताकि लोगों को उनके द्वार पर उनके संचार सेवाएंप्रदान की जा सके। ये एसटीबी संबंधित राज्य सरकार /गृह मंत्रालय /सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से वितरित करने की योजना है।

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में 30,000 सेट टॉप बॉक्स वितरित करते समय पात्र परिवारों की पहचान के लिए अपनाए गए मापदंड निम्नानुसार थे:

i. परिवार अंतर्राष्ट्रीय सीमा/एलओसी से 0-5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा /एलओसी के पास हैं।
ii. परिवार के पास टीवी/एलसीडी होना चाहिए।

iii. परिवार के पास औपचारिक बिजली का कनेक्शन चाहिए।

iv. पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करते समय समिति द्वारा सीमा से परिवार की दूरी दर्ज की जाएगी।

v. बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

vi. परिवार (लाभार्थी (के पास मोबाइल मोबाइल फोन होना चाहिए क्योंकि पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर पहली आवश्यकता है।

vii. प्राथमिकता उन घरों को दी जानी चाहिए, जिनके पास टेलीविजन केबल नेटवर्क की पहुंच नहीं है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 16 देखे)

(सिफारिश क्रम संख्या 11)

समिति नोट करती है कि डीडी फ्री डिश सहित विभिन्न निर्गत प्लेटफॉर्मों के माध्यम से समूचे भारत में सत्रह)17) 24x7 क्षेत्रीय चैनल कार्यरत तथा उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रीय चैनलों के अलावा, प्रसार भारती ने समूचे भारत में पहुंच बढ़ाने हेतु मार्च, 2019 में डीडी फ्री डिश पर सीमित अवधि वाले ग्यारह (11)डीडी क्षेत्रीय चैनल उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत इन चैनलों को 24x7 चैनल में बदलने के लिए प्रयास कर रहा है। पहले चरण में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के चैनलों को 24x7 चैनलों में बदलने की योजना है। इन चैनलों हेतु ऑटोमेटेड प्ले आउट सिस्टम)स्वतः चालन तंत्र (शुरु किए गए हैं और आवश्यक अन्य तकनीकी सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। इसके अलावा शेष चैनलों को स्वचालित बनाने और 24x7 चैनलों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, क्लाउड आधारित ऑटोमेटेड चैनल प्लेआउट और चैनल प्रबंधन के लिए तकनीकी पथ-प्रदर्शन)पायलॉटिंग (जारी है। इसके अध्ययन और मूल्यांकन के आधार पर, क्लाउड आधारित आर्किटेक्चर वाले मौजूदा चैनलों को ऑटोमेटेड प्लेआउट में बदलने के अलावा शेष चैनलों को 24x7 संचालन हेतु स्वचालित किया जाएगा। समिति सभी डीडी क्षेत्रीय चैनलों को 24x7 संचालन के लिए

तैयार करने हेतु प्रस्तावित समय-सीमा तथा इस संबंध में 2020-21 के लिए तय किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

डीडी केंद्र देहरादून, डीडी केंद्र रायपुर और डीडी केंद्र रांची में तकनीकी अवसंरचना को इन स्थानों से चलने वाले क्षेत्रीय चैनलों के लिए 24X7 आधार पर प्रसारण /निर्माण के लिए उन्नत बनाया गया है। दिनांक 01.04.2020से 24x 7आधार पर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमित समय के क्षेत्रीय चैनलों का प्रचालन शुरू किया गया है। वर्तमान कोविड -19 संकट काल में, प्रसार भारती ने अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके 13.04.2020 सेएक नया 24X7 जीईसीचैनल "डीडी रेट्रो" शुरू किया है, जिसमें प्रतिष्ठित और अभिलेखीय सामग्री दिखाने के लिए, जिसका दर्शकों द्वारा स्वागत किया गया है, और चैनल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है।

इसके अलावा, कोविड -19 संकट के दौरान समाचारों और समसामयिक सूचना के प्रसार हेतु24x7 प्रसारण करने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में, शेष आठ सीमित समय के चैनलों के प्रसारण को 02.04.2020 से बढ़ाया गया है। ऐसा 24x7 प्रसारण सुनिश्चित करने हेतु हिंदी/अंग्रेजी में मौजूदा न्यूज सामग्री का पुन :उपयोग किया गया है ताकि इन चैनलों पर कोई खाली समय न रहे। यह संबंधित केंद्रों में वर्तमान में उपलब्ध सीमित तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके किया गया है ।

तथापि, स्थानीय/क्षेत्रीय सामग्री के साथ इन चैनलों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम निर्माण और समाचार निर्माण के क्षेत्र में और आगे तकनीकी उन्नयन आवश्यक हो सकता है। स्वचालित प्लेआउट सुविधाओं के अलावा निर्माण उपरांत और बाह्य कवरेज सुविधाओं को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रौद्योगिकी विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है ।
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 19 देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या 12)

समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय/प्रसार भारती ने विशेष रुप से सीआर)सामुदायिक रेडियो (की पहुंच न रखने वाले जिलों तथा महत्वाकांक्षी जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों)सीआरएस (की पहुंच विस्तारित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। योग्य सीआर स्टेशनों को सहायता अनुदान जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है तथा मंजूरी लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ मामले को उठाया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि देश में 117 महत्वाकांक्षी जिले हैं और इन 18 जिलों में कुल 21 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यरत हैं। समिति देश के सभी महत्वाकांक्षी जिलों में सीआरएस को चालू करने की समय-सीमा तथा 2020-21 के लिए तय किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों से अवगत होना चाहेगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

देश के विभिन्न हिस्सों में गैर सीआर वाले और जरूरतमंद जिलों को लक्षित करके वर्ष 20-2019में 7सामुदायिक रेडियो)सीआर (जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में भाग लेने के लिए शैक्षिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और केवीके के लगभग 300 संगठनों को आमंत्रित किया गया था।

चालू वर्ष में, सामुदायिक रेडियो स्टेशन)सीआरएस) स्थापित करने के लिएइन क्षेत्रों से अधिक से अधिक संगठनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। चालू वर्ष में लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद जिले में कम से कम एक सीआरएस स्थापितकरना है।

जहां तक सीआरएस को दिए जाने वाले अनुदानों का संबंध है, जब भी आवेदन प्राप्त होता है, उसपर अगली प्रक्रिया केलिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। अब तक, सभी सीआरएस आवेदनों (जो सभी मामलों में पूर्ण थे) के लिए अनुदान जारी किए गए थे।

संबंधित मंत्रालयों से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए लगातार पत्राचार और बैठकें की जा रही हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

(सिफारिश क्रम संख्या 13)

समिति को यह गंभीर चिंता का विषय लगता है कि आकाशवाणी 26129 कर्मियों की कुल स्वीकृत पदों में से 13395 (48 प्रतिशत (पद रिक्त हैं; प्रोग्राम विंग में 4850 पद, इंजीनियरिंग विंग में 1299 पद, समाचार विंग में 25 और प्रशासनिक विंग में 6798 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार दूरदर्शन में कार्मिकों के 19662 कुल स्वीकृत पदों में 7919 (59.72 प्रतिशत (पद रिक्त हैं; कार्यक्रम विंग में 1715 पद, इंजीनियरिंग विंग में 4140, समाचार विंग में 60 और प्रशासनिक विंग में 2004 पद रिक्त हैं। यह दुखद है कि एक सार्वजनिक प्रसारक को कार्यक्रमों की गुणवत्ता के साथ समझौता करने दिया जा रहा है। हाल ही में, जारी जनशक्ति लेखा परीक्षा ने ऐसे कई क्षेत्रों की पहचान की है जहां दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा आवश्यक कौशल तथा संसाधनों एवं वर्तमान जनशक्ति के बीच मेल नहीं है। इन क्षेत्रों में बिक्री, विपणन, डिजिटल और आईटी, क्रिएटिव तथा कंटेंट स्ट्रैटजी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटजी एवं प्लानिंग शामिल हैं। समिति को इस संबंध में प्रगति के बारे में पूरे विवरण के साथ अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रसार भारती की कार्मिक शक्ति का लेखापरीक्षा करने वाली एजेंसी, मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी ने 13.11.2019 को कार्मिक शक्ति लेखापरीक्षा की संशोधित अंतिम रूप सेतैयाररिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसे 04.02.2020 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 159वें बैठक में रखा गया था। बोर्ड ने कुछ टिप्पणियां की और बोर्ड ने आवश्यकता अनुसार सभी विस्तृत विवरण, संशोधन, स्पष्टीकरण और सुधार करने के बाद,सीईओ को अंतिम रूप से तैयार रिपोर्ट की स्वीकृति सहित एम/एस ई एंड वाई एलएलपी से देय सभी शेष अपेक्षित लक्ष्यों को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है।

वर्तमान में मौजूदा कार्मिक शक्ति और कौशल तथा प्रसार भारती में उपलब्ध संसाधनों के बीच विसंगति को ठीककरने और रिपोर्ट में प्रस्तावित भावी योजना बनाने के लिए विस्तृत ब्यौरा तैयार करने का काम चल रहा है । इसके बाद प्रसार भारती द्वारा अंतराल कोपाटने और आकाशवाणी और दूरदर्शन के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसार भारती द्वारा एक कार्यान्वयन योजना बनाई जाएगी।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा 22 देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या 16)

समिति को सूचित किया गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रयासों में प्रसार भारती ने अपने कॉर्पोरेट वेबसाइट को पुनर्विकसित कर लगाया गया है जिसमें अब लाइव टी.वी., लाइव रेडियो , वीडियोज, न्यूज पोडकास्ट्स, रेडियो मैगजींस इत्यादि हैं। आगे अपनी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने के लिए डीडी के सभी न्यूज चैनलों और न्यूज यूनिटों को बढ़ाने के लिए डीडी का एक समर्पित यू-ट्यूब चैनल है जिस पर हर रोज विषय-वस्तु अपलोड की जा रही है और महत्वपूर्ण समाचार और सीधी कवरेज का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आकाशवाणी की सभी प्रमुख सेवाएं और स्टेशनों के पास अब यू-ट्यूब चैनलों के अलावा मोबाइल एप्स पर समर्पित लाइव स्ट्रीम हैं, समाचार सहित सभी डीडी और आकाशवाणी यूनिट्स के पास डिजिटल रुप से उपलब्ध कराई जा रही विषय-वस्तु के आगे प्रचार के लिए समर्पित सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, न्यूज-ऑन-एयर एप को इसके ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रुप में सृजित किया गया है जो एनड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्स पर उपलब्ध है जिस पर रेडियो और टी.वी .की सभी विषय-वस्तु को डिजिटल रुप में प्राप्त किया जा सकता है, इत्यादि ।

इस बात की प्रशंसा करते हुए कि प्रसार भारती ने अपनी वेबसाइट को उन्नत बनाने और यूट्यूब पर अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं, समिति महसूस करती है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया चैनलों में भी यह संभावना तलाशनी चाहिए क्योंकि वे अब संचार के सुस्थापित चैनल हैं जिनको मेनस्ट्रीम

मीडिया चैनलों द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है और इसे लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

सरकार का उत्तर

यूट्यूब के अलावा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कारपोरेट और न्यूज वेबसाइट तथा "एंड्रायड" पर न्यूज ऑन एअर एप और "आईओएस" मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर प्रसार भारती की मीडिया मौजूदगीको बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सभी प्लेटफार्मों पर सोशल मीडिया की मौजूदगी का विवरण **परिशिष्ट**- चार में दिया गया है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

विकास संचार और फिल्म विषय-वस्तु का प्रसार)डीसीडीएफसी(

(सिफारिश क्रम संख्या 20)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने स्वीकार किया कि 2019-20 के दौरान, डीसीडीएफसी के तहत किया गया व्यय कम रहा है, जो कि विभिन्न फिल्म समारोहों में भाग लेने और फिल्मों के मूल निर्माण, फिल्मों के विपणन से संबंधित है। समिति आशा करती है कि जैसा कि उसे आश्वासन दिया गया है, मंत्रालय 2020-21 के दौरान फिल्म समारोहों में अपनी सहभागिता बढ़ाकर तथा विभिन्न राज्य सरकारों को लघु फिल्म समारोह आदि आयोजित करने में सहायता प्रदान कर बेहतर प्रदर्शन करेगा।

सरकार का उत्तर

समिति के सुझावों का पालन किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान डीसीडीएफसी स्कीम के तहत 115.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है । वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में डीसीडीएफसी स्कीम के तहत किया गया कुल व्यय 6.12करोड़ रु . हैं। व्यय ,महामारी की वजह से फिल्म समारोहों के लिए निश्चित की गई राशि में गैर-भागीदारी के कारण कम रहा है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 31 देखें)

<u>राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन)एनएफएचएम(</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 21)

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का उद्देश्य फिल्मों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करना है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं में किया गया व्यय नगण्य रहा है। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (जनवरी, 2020 तक (के दौरान क्रमशः 50.00 करोड़ रुपए, 57.78 करोड़ रुपए और 22.48 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर काफी कम करके क्रमशः 6.02 करोड़ रुपए, 15.00 करोड़ रुपए और 3.61 करोड़ रुपए कर दिया गया, वास्तविक व्यय क्रमशः 6.02 करोड़ रुपए, 10.51 करोड़ रुपए और 3.33 करोड़ रुपए रहा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने स्वीकार किया कि एनएचएफएम से संबंधित कार्य में देरी हुई है क्योंकि इस बात का निर्णय नहीं लिया जा सका कि निर्माण गतिविधियां कौन करेगा। तथापि अब एनबीसीसी को निविदा मिली है और वह निर्माण गतिविधियां शुरू करेगा। तथापि, समिति मंत्रालय को आगाह करती है कि उसे ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करते समय किसी भी कीमत पर अपनी तरफ से ऐसी अकर्मण्यता से दूर रहना चाहिए। तथापि, समिति आशा करती है कि परियोजना अब अभिकल्पित रूप में और समिति को यथा आश्वस्त रूप में शुरू होगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) ने एनएफएचएम से संबंधित कार्य के भाग के रूप में ''एनएफएआई में वैश्विक मानकों के भण्डारण की सुविधा)वाल्ट (केनियोजन, डिजाइनिंग और निर्माण'' के बारे में एनबीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू(पर हस्ताक्षर किए हैं । भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए निष्पादन एजेंसी अब स्थापित है और इसे नियमित रूप से काम की समीक्षा करने के

लिए सुनिश्चित किया जा रहा है। एनएफएचएम की तकनीकी समिति द्वारा बार-बार समीक्षाओं को आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग करने के लिए शुरू किया गया है। उच्च स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना की समीक्षा कर रही हैं।

इसके अलावा, विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं अर्थात'फिल्म सामग्री का डिजिटीकरण', फिल्म सामग्री का जीर्णोद्धार' और 'आईटी समाधान', को गति देना सुनिश्चित किया जा रहा है, जैसे कि निष्पादन एजेंसियां ,एनएफएचएम स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और आवंटित निधि के उचित उपयोग के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से नियुक्त की जाती हैं।

स्कीमों के युक्तिकरण के बाद, एमएफएचएम स्कीम के तहत आवंटन को 'डीसीडीएफसी' स्कीमके आवंटन के भीतर मिला दिया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान एमएफएचएम स्कीम के तहत 15.48 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

मई 2020 के अंत तक, वर्ष 2020-21 के दौरान एमएफएचएम स्कीम के तहत किया गया कुल व्यय 41.52 लाख रु .है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय का पैरा संख्या 34 देखें)

<u>एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र)एनसीओई(</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 22)

एनसीओई का उद्देश्य भारतीय उद्योग और इस क्षेत्र से जुड़े वैश्विक जगत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करना है। परियोजना पीपीपी)सार्वजनिक-निजी साझेदारी (आधार पर संचालित की जाएगी। निजी क्षेत्र द्वारा केंद्र का संचालन किया जाएगा तथा सरकार भूमि और निर्माण लागत उपलब्ध कराएगी। समिति नोट करती है कि पिछले तीन वर्षों में योजनाओं पर लगभग कुछ भी खर्च नहीं किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने बताया कि निविदा कार्य पूरा न हो पाने के कारण देरी हुई है।

समिति इस तरह की देरी पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंत्रालय का ध्यान उनकी संपूर्ण निविदा प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए आकर्षित कराना चाहती है जिसकी वजह से महत्वपूर्ण परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलंब हो रहा है। तथापि, समिति आशा करती है कि मंत्रालय निविदा को अंतिम रूप देने के लिए गंभीर प्रयास करेगा तथा इस संबंध में 2020-21 के दौरान कार्य आगे बढ़ेगा।

<u>सरकार का उत्तर</u>

भवन अवसंरचना विकसित करने के लिए दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी)फिल्म सिटी(, गोरेगांव मुंबई में महाराष्ट्र सरकार से 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान)आईआईएमसी) को निष्पादन एजेंसी के रूप में चुना गया है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना की देखरेख और समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है।

युक्तिकरण के बाद, एनसीओई स्कीम के तहत आवंटन को गैर-वेतन घटक के तहत संबंधित मद शीर्षों के तहत आईआईएमसीके अन्य केंद्रीय व्यय में अंतरित कर दिया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान ,एनसीओई स्कीम के तहत 20.50 करोड़ रुपयेआईआईएमसीके अन्य केंद्रीय व्यय को आवंटित किए गए हैं।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

<u>सूचना क्षेत्र</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 25)

समिति को यह बताया गया है कि सूचना क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों में से एक झूठी खबरों से निपटना है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने भारत सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि से संबंधित झूठी खबरों से निपटने

के उद्देश्य से पीआईबी के अंतर्गत एक तथ्य जांच एकक की स्थापना की है, जिसका संचालन 17 दिसंबर 2019 से शुरू हो गया है। इस एकक की उपस्थिति ट्विटर, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर है। व्हाट्सएप तथा जीमेल पर अब तक प्राप्त 1332 शिकायतों में से 160 का निराकरण किया गया है। शिकायतों की संख्या बहुत कम होने के कारण, समिति चाहती है कि मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ तालमेल बिठाकर काम करे। झूठी खबरों से निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

सरकार का उत्तर

पीआईबी की तथ्य जांच इकाई वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। केंद्र सरकार के उन मंत्रालयों /विभागों से उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास किए जाते हैं, जिन्हेंप्रश्नतथ्य जाँच के लिए भेजा गया है, जिनसे जल्द से जल्द उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/6/2020-पीसी सेल दिनांक 31.07.2020)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं)सीएसएस (का कार्यान्वयन

(सिफारिश क्रम संख्या 26)

समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन का उपयोग कम हुआ। 60.63 करोड़ रुपए, 122.21 करोड़ रुपए तथा 105.15 करोड़ रुपए के आवंटन में से वास्तविक व्यय क्रमश :49.44 करोड़ रुपए, 65.24 करोड़ रुपए तथा 46.01 करोड़ रुपए)दिसंबर 2019 तक (का ही हुआ। समिति यह भी नोट करती है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए पूर्वोत्तर में सीएसएस योजनाओं हेतु 74 करोड़ रुपए का ही आवंटन हुआ है। समिति चाहती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने तथा वहां रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीएसएस

योजनाओं के कार्यान्वयन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में सीएसएस के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए निधियो का इष्टतम उपयोग किया जाना सराहनीय होगा।

<u>सरकार का उत्तर</u>

सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों में सीएसएस स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने और रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 105.15 करोड़ रुपये के निर्धारित आरई से 127.70 करोड़ रु.(121.4 %) का उपयोग किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रसार भारती द्वारा निर्धारित 57.50 करोड़ रु. (आरई (के बजट के विरुद्ध 83.64 करोड़ रु) .145.4%) का व्यय 31.03.2020 तक किया गयाथा।

बीई 2020-21 स्तर पर 74.0 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसका पूरी तरह से उपयोग किए जाने की संभावना है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/6/2020-पीसी सेल दिनांक 31.07.2020)

अध्याय- तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय चार

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

(सिफारिश क्रम संख्या 15)

समिति यह जानकर व्यथित है कि प्रसार भारती के सांस्थानिक ढांचे तथा सरकार के साथ इसके संबंधों की समीक्षा करने तथा प्रसार भारती में नई जान फूंकने के लिए गठित सैम पित्रोदा समिति ने फरवरी, 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, किंतु, मंत्रालय ने आज तक इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया है। समिति ने)एक (शासन तथा संगठन, (दो (निधियन, (तीन (मानव संसाधन, (चार (विषय-वस्तु)कंटेंट(, (पांच (प्रौद्योगिकी, (छ (:आर्काइविंग, (सात (सोशल मीडिया और)आठ (वैश्विक पहुंच के क्षेत्रों में 26 सिफारिशें की थीं। मंत्रालय ने दलील दी कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के लिए मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों और प्रसार भारती, महानिदेशालय :दूरदर्शन तथा महानिदेशालय :आकाशवाणी द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, जो कि एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। समिति विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने में देरी के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क को नहीं मान सकती ।

मंत्रालय के प्रायः दोहराए जाने वाले उत्तर से संतुष्ट न होते हुए समिति, सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा और संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहती है। समिति आगे इच्छा व्यक्त करती है कि प्रसार भारती के हित में किसी और विलंब से बचने के लिए सैम पित्रोदा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने 24.01.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने आठ विभिन्न विषयों पर 26 सिफारिशें दीं जो इस प्रकार हैं:

(i) शासन और संगठन , (ii) वित्तपोषण, (iii) मानव संसाधन, (iv) सामग्री, (v) प्रौद्योगिकी, (vi) संग्रह, (vii) सोशल मीडिया , और)viii) वैश्विक संपर्क।

समिति की सिफारिशों की जांच की गई हैऔर मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 25 देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या 18)

समिति नोट करती है कि पिछले चार वर्षों के दौरान प्रसार भारती द्वारा सृजित निवल आईईबीआर लगभग स्थिर है। 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमश :लक्षित निवल आईईबीआर 2212 करोड रुपए, 1425 करोड़ रूपए, 1388 करोड़ रुपए और 1596 करोड़ रुपए की तुलना में प्राप्त किया गया आईईबीआर क्रमश : 1378.50 करोड़ रुपए, 1304.26 करोड़ रुपए, 1355.36 करोड़ रुपए और 1401.83 करोड़ रुपए रहा। तथापि, यह चिंता का विषय है कि इन वर्षों के दौरान कार्यक्रम निर्माण के लिए आईईबीआर का उपयोग क्रमशः केवल 39.77 प्रतिशत, 39.40 प्रतिशत, 33.61 प्रतिशत और 33.40 प्रतिशत ही रहा। प्रसार भारती के विस्तार के लिए विषय-वस्तु निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विषय-वस्तु विकसित करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है। अतः विषय-वस्तु विकास कार्य पर आईईबीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा व्यय किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी विषय-वस्तु विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रसार भारती उपलब्ध कराई गई

निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए गंभीर प्रयास करें तथा आगे चलकर वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम इकाई बनने और बाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें।

समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि प्रसार भारती को उच्च राजस्व प्राप्तियों हेतु लक्ष्य रखना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए तरीके एवं साधन ढूंढने चाहिए। समिति को 2019-20 के दौरान निर्धारित आईईबीआर लक्ष्य और उसके मुकाबले प्राप्ति तथा वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित आईईबीआर लक्ष्य से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

जैसा कि प्रसार भारती द्वारा अग्रेषित किया गया, वर्ष 2019-20 के लिए प्रसार भारती के राजस्व आंकड़े और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े करोड़ रुपए में(

प्रसारभारती स्कन्ध	**राजस्व शीर्ष**	**लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2019-20**		**उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2019-20**		**प्रस्तावित लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21**	
आकाशवाणी	व्यावसायिक	555.44	644.92	305.23	377.17	342.06	414.00
	संसाधन	89.48		71.94		71.94	
डीडी	व्यावसायिक	704.14	1004.14	348.83	852.69	499.99	996.00
	डीटीएच	300.00		503.86		496.01	
कुल योग			**1649.06**		**1229.86**		**1410.00**

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रसार भारती ने विविध प्राप्तियों, अन्य संसाधनों)रिकॉर्डिंग /प्रशिक्षण(और सावधि जमा से क्रमश: 15.95 करोड़ रुपये, 7.29 करोड़ रुपये और Rs.111.43 करोड़ रु .का राजस्व अर्जित किया।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य का कम होना मौजूदा कोविड-19संकट और आगे के अनिश्चित समय के कारण है।

प्रसार भारती के अनुसार, राजस्व के कई अवसर लोक सेवा प्रसारक के रूप में इसकी प्राथमिक भूमिका के कारण निरन्तरबाधित हैं। जबकि वीवीआईपी कवरेज और राष्ट्रीय महत्व के अन्य समान कवरेज लोक प्रसारक द्वारा गैर-विमुद्रीकृत होते हैं, वही इन्हें सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित मेंबिना किसी लागत पर निजी प्रसारकों को भी वितरित किया जाता है जो बिना किसी बाधा के इसका मुद्रिकरण करते हैं। प्रसार भारती राष्ट्रीय हित, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ,विविध संस्कृतियों के लिए पर्याप्त कवरेज और विभिन्न क्षेत्रों की भाषा से संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए बाध्य है, जिनका वाणिज्यिक उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। प्रसार भारती ने हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों को लोक सेवा प्रसारक की भूमिका को पूरा करने के लिए बहुत कम दरों पर कोविड -19 महामारी के कारण शैक्षिक सामग्री चलाने के लिए स्लॉट प्रदान किए हैं।

इसके अलावा, चूंकि दूरदर्शन की सेवाएं फ्री टू एयर)एफटीए (हैं और कई निजी वाणिज्यिक चैनलों के विपरीत कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, इस प्रकार विज्ञापन राजस्व का एक मात्र स्रोत बने रहते हैं और जिस पर भी कोविड-19 का प्रभावपड़ा है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों पर खर्चों को कम किया गयाहै।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

समिति की टिप्पणियां

(अध्याय एक का पैरा संख्या 28 देखें)

अध्याय पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अंतरिम प्रकृति के है

(सिफारिश क्रम संख्या 02)

समिति यह भी नोट करती है कि वित्त मंत्रालय ने योजनाओं को 2019-20 के बाद जारी रखने के लिए उनका मूल्यांकन करने तथा उन्हें वित्त आयोग चक्र अर्थात् 2020 के साथ समाप्त करनेका अधिदेश दिया है। नीति आयोग तथा व्यय विभाग ने सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन आरंभ करने तथा मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वयनाधीन केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए विस्तृत ढांचा उपलब्ध कराया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का पिछला मूल्यांकन वर्ष 2017 में मैसर्स क्रोम लि .से कराया था। जैसाकि सूचित किया गयाहै, मंत्रालय की सभी केंद्रीय प्रायोजित का फिर मूल्यांकन मैसर्स केपीएमजी द्वारा आरंभ किया गया है और इसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। समिति केपीएमजी द्वारा मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन पूरा कर लेने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस मामले में की गई प्रगति और निश्चित की गई कार्य योजना से अवगत होना चाहती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

इस मंत्रालय की सभी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का मूल्यांकन प्रगति पर है। कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति के कारण मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा होने में अधिक समय लग रहा है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

(सिफारिश क्रम संख्या 14)

समिति को यह बताया गया कि प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 9 के अनुसार प्रसार भारती में समस्त भर्तियां भर्ती बोर्ड के परामर्श से की जानी होती हैं। मंत्रालय ने 12.02.2020 को भर्ती बोर्ड की स्थापना के लिए भारत के राजपत्र में 'प्रसार

भारती)भारतीय प्रसारण निगम (भर्ती बोर्ड स्थापना नियम 2020' को अधिसूचित किया है। प्रसार भारती के साथ समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रसार भारती द्वारा पदों तथा नियुक्ति की प्रविधि की व्यापक समीक्षा की जा रही है। समिति प्रसार भारती में भर्ती बोर्ड की स्थापना में हो रही देरी को गंभीरता से ले रही है। तथापि, समिति सिफारिश करती है कि इस मामले में और देरी न की जाये और भविष्य की कार्रवाई करने की दृष्टि से इसमें तेजी लाई जाए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि उन्हें इस मामले में होने वाली प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रसार भारती भर्ती बोर्ड की स्थापना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है- :

i. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.02.2020को भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित प्रसार भारती)भारतीय प्रसारण निगम(स्थापना की भर्ती बोर्ड नियमावली, 2020 के अनुसरण में, प्रसार भारती ने प्रसार भारती भर्ती बोर्ड की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की थी।
ii. प्रसार भारती बोर्ड के निर्णय के अनुसरण में, भर्ती बोर्ड की स्थापना के लिए जमीनी कार्य पूरा करने हेतु 12.02.2020 को प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया।कोविड-19 महामारी घटनाक्रम औरउसके बाद देशव्यापी लॉकडाउन से उसकी प्रगति प्रभावित हुई।
iii. लॉकडाउन में ढील के साथ, समिति ने प्रसार भारती बोर्ड के विचार के लिए रखी जाने वाली अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। भर्ती बोर्ड का गठन जल्द से जल्द प्रसार भारती बोर्ड की मंजूरी से किया जाएगा ।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

(सिफारिश क्रम संख्या 17)

समिति नोट करती है कि दूरदर्शन के प्रति दर्शकों का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए प्रसार भारती ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा अच्छी किस्म के कार्यक्रमों की विषय-वस्तु प्रापण के लिए संशोधित मार्गनिर्देश अनुमोदित किए गए हैं जिससे विगत समय में विषय-वस्तु की समय पर प्रापण की चुनौतियों से पार

पाने और यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि दर्शकों की जरुरतों के समाधान के लिए अच्छी विषय-वस्तु प्रभावी ढंग से प्राप्त की जाए, निजी जी.ई.सी .चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पृथक एक्सक्लूसिव मनोरंजन चैनल बनाने के लिए योजना बनाना, कार्यक्रम फॉर्मेट के संदर्भ में अपने डी.डी .न्यूज चैनल पर बल देना, लुक एंड फील, ग्राफिक्स इत्यादि ताकि एक विश्वसनीय और प्रामाणिक न्यूज़ चैनल के प्रति दर्शक आधार को बढ़ाया जा सके, एचडी उन्नयन और चैनल ऑटोमेशन के लिए चल रहे प्रयासों के अतिरिक्त विश्व में भारतीय लोगों सहित विश्व भर के दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अपने डी.डी .इंडिया चैनल को अंग्रेजी समाचार चैनल के रूप में पुन :प्रबोधन शामिल है।

इस बात कि प्रशंसा करते हुए कि ये कदम सही दिशा में उठाए गए हैं, समिति चाहती है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रसार भारती द्वारा बनाई गई योजनाएं दर्शकों पर अपेक्षित और दूरगामी प्रभाव छोड़ने के लिए अक्षरश: कार्यान्वित की जाएं।

सरकार का उत्तर

सामग्री के लिए संशोधित दिशानिर्देश का कार्यान्वयन कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुआ। अंतरिम आपातकालीन उपाय के रूप में, दूरदर्शन के ऐतिहासिक पसंदीदा कार्यक्रम प्राप्त किए गए और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर इनके प्रसारण के साथ-साथ आकाशवाणी पर पुराने कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। बीएआरसी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार इन प्रतिष्ठित कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण जबरदस्त पसंद किया गया और लोगों ने अभूतपूर्व तरीके से इसे खूब सराहा। 16.04.2020को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ‘‘रामायण’’देखने वालेदर्शकों की संख्या 77मिलियन थी जिससे यह संभावित रूप से दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वालेमनोरंजन कार्यक्रम बन गया है।

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, चूंकि अब प्राथमिकता नागरिकों के तथ्यों के साथ कोविड 19-की स्थिति की सूचना देने और उन्हें अद्यतन जानकारी देते रहना हो गई है। अत :डीडी न्यूज और डीडी इंडिया ने ऐसे संकट की स्थिति में एकजुटता बढ़ाने, सकारात्मकता पैदा करनेवालेकार्यक्रमों को बनाने के भरसक प्रयास किए हैं। दूरदर्शन

द्वारा कोविड 19-पर प्रसारित समाचार सूचना-विज्ञापन सेटेलीविजन उद्योग में इसका स्थान सामाजिक संदेश देने वाले शीर्ष 5विज्ञापनदाताओं आ गया।

दूरदर्शन और आकाशवाणीराज्य सरकारों के साथ साझेदारी से पूरे नेटवर्क में जन शिक्षा के कार्यक्रम चलाकर अपने सार्वजनिक सेवा दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बीएआरसीविश्लेषण के अनुसार,वर्ष 2020के 15वें सप्ताह के दौरान 2-14 वर्ष के बच्चों को हर रोज इनके चैनलों का चलाने वालेकी संख्या 10 मिलियन)कोविड-पूर्व) से बढ़कर 37 मिलियन और 15-21 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 9 मिलियन)कोविड-पूर्व) से बढ़ कर 32मिलियन हो गई।

जहां तक पूंजीगत अवसंरचना का संबंध है, तीन वर्षीय कार्य योजना 2020-2017 के तहत, दिल्ली में स्थापित तीन मुख्य दूरदर्शन केंद्र अर्थात डीडीके दिल्ली, डीडी न्यूज और केंद्रीय निर्माण केंद्र)सीपीसी (दिल्ली को पूरी तरह से एचडी में बदलने का प्रस्ताव है। तदनुसार, इन तीन केंद्रों में एचडी परिवर्तन की इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति में है। इन केंद्रों को स्टूडियों निर्माण हेतु आभा और प्रभाव को सुधारने के लिए 8 स्टूडियो में वीडियो वाल्स पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। एचडी में कार्यक्रमों के क्षेत्र अधिग्रहण के लिए एचडी निर्माण वैन और एचडी कैमकॉर्डर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं।

इस परिवर्तन से इन केंद्रों से शुरू होने वाले चैनलों अर्थात "डीडी नेशनल", "डीडी भारती", "डीडी न्यूज", "डीडी स्पोर्ट्स", "डीडी उर्दू", "डीडी किसान " और एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल" -डीडी इंडिया "के लिए निर्माण और प्रसारणएचडी प्रारूप में पूरी तरह से हो सकेगा।

डीडीके दिल्ली और सीपीसी दिल्ली के अलावा, डीडीके बेंगलुरु, देहरादून, हैदराबाद, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर में भू-केंद्रों को भी स्पेक्ट्रम कुशल उपकरण प्रदान किए गए हैं ताकि ये एमपीईजी-4 में एचडी चैनल को अपलिंक करने में सक्षम बन सकें। वर्तमान में दूरदर्शन नेटवर्क के 11स्थानों अर्थात डीडीके अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई,जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता,शिमला और तिरूवनंतपुरम में भू-केंद्रों का उन्नयन कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

<u>फिल्म क्षेत्र</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 19)

समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत अपनी योजनाओं को लेकर प्रदर्शन बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (जनवरी, 2019 तक (के दौरान क्रमशः 207.00 करोड़ रुपए, 165.84 करोड़ रुपए और 165.00 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के मुकाबले जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर काफी कम करके क्रमश :111.13 करोड़ रुपए, 111.96 करोड़ रुपए और 133.13 करोड़ रुपए कर दिया गया था - उपयोग क्रमश :83.39 करोड़ रुपए)75.03%), 93.52 करोड़ रुपए)83.52%) और 78.06 करोड़ रुपए)58.63%) किया गया । समिति नोट करती है कि 2019-20 के दौरान फिल्म क्षेत्र से संबंधित 'अवसंरचना विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का 77.7% उपयोग हुआ, विकास संचार और फिल्म सामग्री का प्रचार-प्रसार)डीसीडीएफसी (के अंतर्गत क्रमशः 53.87 करोड़ रूपए और 63.39_करोड़ रुपए के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में केवल 23.77 करोड़ रुपए)37.51 %) रुपए ही खर्च हुए, जबकि 'एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स)मेन एसईसीटीटी (.के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के अंतर्गत क्रमश :20.50 करोड़ रुपए और 2 लाख रुपए के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में कुछ भी खर्च नहीं किया गया। जिस तरह से मंत्रालय फिल्म क्षेत्र के तहत प्रत्येक वर्ष अप्रयुक्त राशि वापस लौटाता रहा है, समिति इस बात को बिलकुल भी पसंद नहीं करती है। समिति चाहती है कि मंत्रालय अपनी योजनाओं का समुचित मूल्यांकन करे तथा इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करें।

फिल्म क्षेत्र के संबंध में, समिति सूचना और प्रसारण मंत्रालय से चलचित्र)संशोधन (अधिनियम, 1952 की व्यापक समीक्षा करने का आग्रह करती है जिससे कि फिल्म सेंसरशिप/प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों के सभी पहलुओं का निराकरण किया जा सके। समिति चाहती है कि अगले तीन महीनों के भीतर इस दिशा में हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति के सुझावों का अनुपालन किया जाएगा।

चलचित्र)संशोधन (विधेयक,2020 पर दिनांक 16.3.2020 को लोकसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों की मंत्रालय में जांच चल रही है।

विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन करने या निरस्त करने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 की समग्र रूप से समीक्षा की जा रही है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

<u>चैपियन सेवा क्षेत्र योजना</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 23)

समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रस्ताव 'चैंपियन सर्विसेज सेक्टर्स स्कीम' नामक एक नई योजना की शुरुआत करने का है। वर्तमान में इसका प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के पास है। इस योजना का आशय विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में शूटिंग के लिए प्रोत्साहन देना है। इसका उद्देश्य भारत को विश्व फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने का है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भारत में अलग-अलग राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भू-स्थलाकृतियों तथा स्थानों की विविधता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी दोनों ही प्रकार की फिल्मों के निर्माण के लिए एक आकर्षक स्थान बनाते हैं। भारत के पास अभिनेताओं, निर्माताओं, निर्देशकों, लेखकों तथा विविध स्थानीय फिल्म उद्योगों से जुड़े सक्षम लाइन वाले निर्माताओं सहित अनुभवी फिल्म कर्मकार हैं। निर्माण के दौरान तथा निर्माणोत्तर खर्च और लागत कम होने तथा डॉलर-रुपए के अनुकूल एक्सचेंज रेट इस आकर्षण को और अधिक बढ़ा देते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने तथा विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म शूटिंग की अनुमति सुकर बनाने के लिए मंत्रालय ने एनबीएफसी के तत्वावधान में एक फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस)एफएफओ (स्थापित किया है। एफएफओ विदेशी फिल्म निर्माताओं को आवश्यक अनुमति प्रदान करने, शूटिंग लोकेशन्स से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने तथा निर्माण के दौरान एवं निर्माणोत्तर गतिविधियों के लिए भारतीय फिल्म उद्योग के पास उपलब्ध सुविधाएं प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो सुविधा केंद्र के रूप में काम करता है।

20.11.2018 को एक वेबसाइट https://ffo.gov.in/en की शुरुआत सिंगल विंडो फैसिलिटेशन प्वाइंट के रूप में की गई थी। विदेशी फिल्म निर्माता, जो भारत में अपनी फीचर फिल्में, रियलिटी टीवी शो तथा कमर्शियल टीवी श्रृंखला आदि शूट करने के इच्छुक हों, वे देश में फिल्म शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह वेबसाइट शूटिंग स्थलों, विभिनन राज्यों द्वारा प्रदान किए जाने वाले शूटिंग प्रोत्साहनों, सह-निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, व्यापार संघों, फिल्म सिटीज तथा अन्य अनेक चीजों के विषय में उपयोगी जानकारी प्रदान करती है।

समिति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से उठाए गए कदम की सराहना करती है तथा चाहती है कि इस संबंध में उसे आगे होने वाली प्रगति से भी अवगत कराया जाए। समिति को आशा है कि उक्त योजना सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के आश्वासन के अनुसार, इस वर्ष शुरू हो जाएगी।

(सिफारिश क्रम संख्या 24)

24. समिति का यह सुविचारित मत है कि भारत में धरोहर स्थलों पर शूटिंग की अनुमति उसी प्रकार दी जानी चाहिए जैसे कि इस प्रयोजन हेतु विदेशों में दी जाती हैं। सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि ऐसा करने से भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सामति की यह प्रबल इच्छा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाए तथा इस संबंध में यदि कोई प्रगति होती है, तो उससे समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद ,भारत में ऑडियो विजुअल सेवा क्षेत्र के विकास की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया है। चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम के तहत ऑडियो विजुअल क्षेत्र उप-स्कीम पर एक प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और व्यय विभाग तथा नीति आयोगको भेजा गया है। नीति आयोग ने चैंपियन क्षेत्र स्कीम के तहत ऑडियो-विजुअल सेवाओं पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

मंत्रालय भारत में विरासत स्थानों पर शूटिंग की अनुमति देने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसएसएसके तहत 30 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-11/06/2020-पीसी-सेल दिनांक 31.07.2020)

नई दिल्ली;
04 फरवरी, 2021
15 माघ, 1942 (शक)

डॉ .शशि थरूर,
सभापति,
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति।

परिशिष्ट- एक

<u>सभी 33एफएम ट्रांसमीटर टावरों का कार्य पूरा होने की वतर्मान स्थिति और लक्ष्य तिथि</u>

क्र.सं.	स्थान	परियोजना	वर्तमान स्थिति	लक्षित तारीख
1.	अल्मोड़ा (यूके)	डीडी साइट पर 5 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	1 केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। लुधियाना को डाइवर्ट किए गए 5 केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर को अल्मोड़ा लाया गया और स्थापित किया गया। पुन: ट्यूनिंग के तहत जम्मू से डिप्लेक्सर लाया गया। 50 एम टॉवर खड़ा करने का कार्य पूरा किया गया।	जून20
2.	अल्मोड़ा (यूके)	डीडी साइट पर 1 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर		जून20
3.	चंपावत (यूके)	1 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर (रिले)	निर्माण कार्य प्रगति पर है। टीई के तहत 50 एम एसएस टॉवर के लिए निविदा।	सितंबर20
4.	कूचबिहार (बिहार)	सीमित स्टूडियो सुविधा के साथ 10 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	अंतरिम व्यवस्था के रूप में, कूचबिहार में 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है और इसे नियमित सेवा में लिया गया है। फर्म को 100 एम एसएस टॉवर के लिए पुनः निर्माण कार्य करने के लिए कहा गया	मार्च21

			है।	
5.	इटावा (यूपी)	10 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	भवन निर्माण और बाड़ लगाने का कार्य प्रगति पर है। ट्रांसमीटर और एंटीना प्राप्त किया गया। टीई के तहत 100 एम टॉवर के एसईटीसी का निविदा। आदेश को सतर्कता विंग से स्पष्टीकरण के बाद दिया जाएगा जिसमें जीएफआरद्वारा टॉवर के एसआईटीसीपर पालन करने का अनुरोध किया गया है।	मार्च21
6.	हल्द्वानी (यूके)	10 केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर (रिले)	भवन निर्माण कार्य पूरा किया गया। ट्रांसमीटर की खरीद के लिए निविदा के खिलाफ बोली प्राप्त हुई। 100 मीटर टॉवर खड़ा करने के लिए टीई पूरा हुआ।	मार्च21
7.	कोकराझार (डीडी साइट) (असम)	10केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	30.05.2019 को आयोजित उच्चाधिकार समिति की 2री बैठक में परियोजना अनुमोदित किया गया । मौजूदा टीवी टॉवर के संरचनात्मक विश्लेषण के रूप में खरीदे जाने वाले 6-बे एंटीना 16-पैनल एंटीना का सपोर्ट नहीं करता है।	दिसंबर20
8.	लुधियाना	10केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 10केडब्ल्यूएफएम	मार्च21

	(पंजाब)		ट्रांसमीटर प्राप्त हुआ। 100 मीटर टॉवर खड़ा करने के लिए टीईपूरा हुआ।	
9.	सूर्यापेट	10 केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर (रिले)	10 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर 45एममस्तूल के साथ कम बिजली पर कमीशन किया गया। 100 एम टॉवर खड़ा करने के लिए आदेश दिया गया। सामग्री निरीक्षण के अधीन है और नींव का कार्य प्रगति पर है।	सितंबर20
10.	सुल्तानपुर (यूपी)	10केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	भवन का निर्माण और पुश्ते की दीवार का कार्य प्रगति पर है। ट्रांसमीटर और एफएम एंटीना प्राप्त किया गया और 100 मीटर टॉवर खड़ा करने के लिए टीई पूरा किया।	मार्च 21
11.	राजमुंदरी (काकीनाडा के स्थान पर) (एपी)	10केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	10 किलोवाट ट्रांसमीटर और कॉम्बिनर की खरीद के लिए टीई पूरा हुआ।	दिसंबर20
12.	मुजफ्फरपुर (बिहार)	10केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	10 किलोवाट ट्रांसमीटर स्थापित किया गया। कोलकाता से मौजूदा सीटीआईके साथ उपयोग किए जाने वाले चैनल कॉम्बिनेर को फिर से ट्यून किया जा रहा है। कार्यक्रम सामग्री तय की गई।	जून20
13.	रतलाम	10केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	निर्माण कार्य प्रगति पर	अक्टूबर

	(एमपी)		है। 10 किलोवाट ट्रांसमीटर प्राप्त किया गया। 100 एमएसएस टॉवर का डीएसईटीसी खड़ा करने की प्रक्रिया मेंहै।	20
14.	नामसाई (अरुणाचल प्रदेश)	1केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर(रिले)	भवन निर्माण और सुरक्षा बाड़ लगाने के लिए दिए जाने वाले कार्य।	
15.	अनीनी (अरुणाचल प्रदेश)	1केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर(रिले)	1 केडब्ल्यूएफएमसेट-अप की स्थापना के लिए उपयुक्त साइट की पहचान की जा रही है।	
16.	चम्फाई (मिज़ोरम)	1केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर(रिले)	ट्रांसमीटर स्थापित किया गया और डमी लोड पर परीक्षण किया गया। 50 मीटर टॉवर का निर्माण पूरा किया गया।	जून20
17.	चांगलांग (अरुणाचल प्रदेश)	1केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर(रिले)	ट्रांसमीटरस्थापित किया गया और डमी लोड पर परीक्षण किया गया। 50 मीटर टॉवर का निर्माण पूरा किया गया। औपचारिक कमीशनिंग से पहले स्थानीय प्रशासन से जेडओद्वारा सुरक्षा सहायता मांगी गई ।	जून20
18.	खोंसा (अरुणाचल प्रदेश)	1केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर(रिले)	ट्रांसमीटर स्थापित किया गया और डमी लोड पर परीक्षण किया गया गया। 50 मीटर टॉवर का निर्माण पूरा हुआ। औपचारिक कमीशनिंग से पहले स्थानीय प्रशासन से	जून20

			जेडओद्वारा सुरक्षा सहायता मांगी गई ।	
19.	कोलासिब (मिज़ोरम)	1केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर(रिले)	ट्रांसमीटर स्थापित किया गया। 50 मीटर टॉवर का निर्माण पूरा हुआ। परीक्षण संचरण के अधीन स्थायी बिजली आपूर्ति का मसला हल किया जा रहा है।	जून20
20.	तामेंगलैंग (मणिपुर)	1केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर(रिले)	साइट पर कब्जा किया गया और स्कूल भवन के कमरों के भौतिक कब्जे से संबंधित मामले को सुलझाया गया। इरेक्शन एंटीना और केबल को प्रगति के तहत 50 एम एसएस टॉवर तक पहुंचाया जाना है।	सितंबर20
21.	जूनहेबोटो (नागालैंड)	1केडब्ल्यू एफएमट्रांसमीटर(रिले)	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किया जाना है। 50 एम एसएस टॉवर लगाने का कार्य प्रगति पर है।	जून20
22.	दाहोद (गुजरात)	10 केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर	17.09.2019को आयोजित तीसरीउच्चाधिकारसमितिद्वारा परियोजनाअनुमोदित की गई। इंडेंट को 10 केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर और 6-बे एंटीना की खरीद के लिए रखा गया है। उपयुक्त स्थल की पहचान की जा रही है।	मार्च23

23.	जसपुर (उत्तराखंड)	10 केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर	इंडेंट को 10 केडब्ल्यू एफएमट्रांसमीटर और 6-बे एंटीना की खरीद के लिए रखा गया है। उपयुक्त स्थल की पहचान की गई है और संयुक्त सर्वेक्षण किया जा रहा है।	मार्च23
24.	रामपुर (उत्तर प्रदेश)	10 केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर(रिले)	इंडेंट को 10 केडब्ल्यूएफएमट्रांसमीटर और 6-बे एंटीना की खरीद के लिए रखा गया है।	मार्च23
25.	रामेश्वरम (तमिलनाडु)	20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर(रिले)	20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर और 16-पैनल एंटीना की खरीद के लिए इंडेंट लगाने की प्रक्रिया में है।	मार्च23
26.	गडानिया	10 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	ट्रांसमीटर बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया गया और अधिकार में ले लिया गया। ट्रांसमीटर स्थापना के अधीन है। 100 एम एसएसटॉवर का एसईटीसी का निविदा प्रगति पर है। एंटीना और केबल आपूर्ति की जानी है।	मार्च21
27.	नानपारा	10 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	ट्रांसमीटर बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया गया। ट्रांसमीटर स्थापना के अधीन है। 100 एम एसएसटॉवर का एसईटीसी का निविदा प्रगति पर है। एंटीना और केबल कीआपूर्ति की	मार्च21

			जानी है।	
28.	महाराजगंज	10 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	ट्रांसमीटर बिल्डिंग का काम चल रहा है। ट्रांसमीटर प्राप्त किया गया। 100 एम एसएसटॉवर का एसईटीसी का निविदा प्रगति पर है। एंटीना और केबल कीआपूर्ति की जानी है।	मार्च21
29.	नरकटियागंज	10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर	ट्रांसमीटर बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया गया। ट्रांसमीटर स्थापना के अधीन है। 100 एम एसएसटॉवर का एसईटीसी का निविदा प्रगति पर है। एंटीना और केबल कीआपूर्ति की जानी है।	मार्च21
30.	बाथानाहा	10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर	ट्रांसमीटर बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया गया। ट्रांसमीटर स्थापना के अधीन है। 100 एम एसएसटॉवर का एसईटीसी का निविदा प्रगति पर है। एंटीना और केबल कीआपूर्ति की जानी है।	मार्च21
31.	सीतामढ़ी	10 केडब्ल्यू् एफएम ट्रांसमीटर	ट्रांसमीटर बिल्डिंग का काम चल रहा है। ट्रांसमीटर प्राप्त किया गया।	मार्च21
32.	कुपवाड़ा (डीडी साइट)	10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर	05.02.2020 को आयोजित उच्चाधिकारसमिति की चौथी बैठकद्वारानई परियोजनाको	मार्च22

			अनुमोदित किया गया।	
33.	गुरेज (डीडी साइट)	10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर	05.02.2020 को आयोजित उच्चाधिकार समिति की चौथी बैठकद्वारानई परियोजना को अनुमोदित किया गया।	मार्च22

परिशिष्ट- दो

115 जरूरतमंद जिलों में कार्यान्वयन के अधीन आकाशवाणी के सेटअप और स्कीम (35 एमएचए एलडब्ल्यूई पूल + 50 मंत्रालय पूल + 30 नीति आयोग पूल)

क्र.सं.	जिलों का नाम	राज्य	जरूरतमंद जिला पूल	वर्तमान आकाशवाणीसेटअप	संस्थापनाधीन एफएम ट्रांसमीटर	आंशिक रूप से एफएम कवरेज
35 जरूरतमंद जिलों (गृह मंत्रालय पूल - एलडब्ल्यूई प्रभावित)						
1.	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 केडब्ल्यूएमडब्ल्यू और 10 केडब्ल्यूएफएम (रेनबो)	---	-
2.	औरंगाबाद	बिहार	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	-	6 किलोवाट एफएम सासाराम
3.	बांका	बिहार	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	100 डब्ल्यू एफएम	---
4.	गया	बिहार	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	-	---
5.	जमुई	बिहार	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	जमुई और सिकंदरा में 100 डब्ल्यू	-

					एफएम	
6.	मुजफ्फरपुर	बिहार	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	10 किलोवाट एफएम (डीडी साइट)	-
7.	नवादा	बिहार	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	100 डब्ल्यू एफएम	-
8.	बस्तर	छत्तीसगढ़	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 किलोवाट मेगावाट, 100 डब्ल्यू एफएम (जगदलपुर)	-	-
9.	बीजापुर	छत्तीसगढ़	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	-	-
10.	दंतेवाड़ा	छत्तीसगढ़	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	-	-
11.	कांकेर	छत्तीसगढ़	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	-	-
12.	कोण्डागांव	छत्तीसगढ़	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	-	-
13.	नारायणपुर	छत्तीसगढ़	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	100 डब्ल्यू एफएम	-

14.	राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम (डोंगरगढ़)		
15.	सुकमा	छत्तीसगढ़	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम (कोंटा)		
16.	बोकारो	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	-	
17.	चतरा	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	-	10 केडब्ल्यूएफएमए फएम डाल्टनगंजऔर 6 केडब्ल्यूएफएमह जारीबाग
18.	दुमका	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	-	-
19.	गढ़वा	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	-	10 केडब्ल्यूएफएमए फएम डाल्टनगंज
20.	गिरिडीह	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	-	-
21.	गुमला	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	-	-

22.	हजारीबाग	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	6 किलोवाट एफएम		
23.	खूंटी	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	-	10 किलोवाट एफएम रांची
24.	लातेहार	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	-		10 केडब्ल्यूएफएमए फएम डाल्टनगंज
25.	लोहरदगा	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	-		10 किलोवाट एफएम रांची
26.	पलामू	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	10 किलोवाट एफएम (डालटन गंज)		
27.	पश्चिमी सिंहभूम	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	10 किलोवाट एफएम (चाईबासा)	-	-
28.	पूर्वी सिंहभूम	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	घाटशिला में 10 डब्ल्यूडब्ल्यू जमशेदपुर (2 नग) 100 डब्ल्यू एफएम पर	-	-
29.	रामगढ़	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	-		6 केडब्ल्यूएफएम हजारीबाग
30.	रांची	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 केडब्ल्यूएमडब्ल्यू, 10	-	---

				केडब्ल्यूएफएम, 10 केडब्ल्यूएफएम (रेनबो)		
31.	सिमडेगा	झारखंड	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	-	-
32.	गडचिरोली	महाराष्ट्र	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 डब्ल्यू एफएम	100 डब्ल्यू एफएम अहेरी और सिरोंच	-
33.	कोरापुट	ओडिशा	एमएचए एलडब्ल्यूई	100 केडब्ल्यूएमडब्ल्यू, 1 केडब्ल्यूएफएम (जेपोर)	---	-
34.	मल्कानगिरी	ओडिशा	एमएचए एलडब्ल्यूई	-	100 डब्ल्यू एफएम	-
35.	खम्मम	तेलंगाना	एमएचए एलडब्ल्यूई	10 किलोवाट एफएम कोठागुडम, 100 डब्ल्यू एफएम खम्मम		
50 जरूरतमंद जिले (मंत्रालय पूल)						
36.	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	मंत्रालय पूल	-	-	---
37.	वाईएसआर	आंध्र प्रदेश	मंत्रालय पूल	100 किलोवाट	-	10 केडब्ल्यू

	कडप्पा			मेगावाट 1 किलोवाट एफएम		एफएमतिरुपति और अनंतपुर
38.	नामसाई	अरुणाचल प्रदेश	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम	1 केडब्ल्यूएफएम ट्रांसमीटर	
39.	हैलाकांडी	असम	मंत्रालय पूल	-		
40.	उदलगुड़ी	असम	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम		
41.	खगरिया	बिहार	मंत्रालय पूल	---	-	-
42.	पूर्णिया	बिहार	मंत्रालय पूल	10 किलोवाट एफएम	-	10 किलोवाट एफएम सिलीगुड़ी
43.	कोरबा	छत्तीसगढ़	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम	-	-
44.	महासमुंद	छत्तीसगढ़	मंत्रालय पूल	1 किलोवाट एफएम (सरायपल्ली)	-	-
45.	दाहोद	गुजरात	मंत्रालय पूल	-	10 केडब्ल्यूऔर 100 वाटएफएम	10 केडब्ल्यूएफएम गोधरा

46.	नर्मदा	गुजरात	मंत्रालय पूल		100 डब्ल्यू एफएम केवडिया कॉलोनी	
47.	मेवात	हरियाणा				20 केडब्ल्यूएफएमदिल्ली
48.	चंबा	हिमाचल प्रदेश	मंत्रालय पूल	चम्बा, चौरीखास और भरमौर में 100 डब्ल्यू एफएम	-	-
49.	बारामुला	जम्मू और कश्मीर	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम (उरी)	10 किलोवाट एफएम (उरी)	-
50.	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	मंत्रालय पूल	20 किलोवाट मेगावाट	10 किलोवाट एफएम (डीडी साइट)	-
51.	गोड्डा	झारखंड	मंत्रालय पूल	-	100 डब्ल्यू एफएम	-
52.	रायचुर	कर्नाटक	मंत्रालय पूल	10 किलोवाट एफएम	-	-
53.	यादगीर	कर्नाटक	मंत्रालय पूल	-	-	10 किलोवाट एफएम रायचूर
54.	वायनाड	केरल	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू कालपेट्टा	-	-

55.	छतरपुर	मध्य प्रदेश	मंत्रालय पूल	20 किलोवाट मेगावाट और 5 किलोवाट एफएम	-	-
56.	गुना	मध्य प्रदेश	मंत्रालय पूल	10 किलोवाट एफएम और 100 डब्ल्यू एफएम (चंदेरी)	-	-
57.	राजगढ़	मध्य प्रदेश	मंत्रालय पूल	3 किलोवाट एफएम	-	-
58.	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र	मंत्रालय पूल	10 किलोवाट एफएम	-	10 किलोवाट एफएम सोलापुर
59.	वाशिम	महाराष्ट्र	मंत्रालय पूल	-	100 डब्ल्यू एफएम	10 किलोवाट एफएम अकोला और यवतमाल
60.	चंदेल	मणिपुर	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम चंदेल और मोरेह	---	10 केडब्ल्यूएफएम इंफाल
61.	रिभोई	मेघालय	मंत्रालय पूल	-	-	10 किलोवाट एफएम शिलांग
62.	मामित	मिजोरम	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम रंग्डिल और पुजिंगिंग	-	6 केडब्ल्यूएफएम आइज़ॉल
63.	किफायर	नगालैंड	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम समटोर	-	-

64.	बोलंगीर	ओडिशा	मंत्रालय पूल	10 किलोवाट एफएम	-	-
65.	ढेंकानेल	ओडिशा	मंत्रालय पूल	1 किलोवाट एफएम जोरांडा	-	10 किलोवाट एफएम कटक
66.	गजापति	ओडिशा	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू (पैरालखेमंडी)	-	---
67.	कंधमाल	ओडिशा	मंत्रालय पूल	---	100 डब्ल्यू (फूलबानी)	-
68.	फिरोजपुर	पंजाब	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम	-	20 किलोवाट एफएम अमृतसर और फाजिल्का
69.	मोगा	पंजाब	मंत्रालय पूल	---	-	6 केडब्ल्यूएफएमब टिंडा और 10 केडब्ल्यूएफएमलु धियाना
70.	ढोलपुर	राजस्थान	मंत्रालय पूल	---	-	5 किलोवाट एफएम ग्वालियर और आगरा
71.		राजस्थान	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम	-	10 किलोवाट एफएम सवाई एम एडोपुर
72.		राजस्थान	मंत्रालय पूल	-	-	10 केडब्ल्यूएफएममा

						उंट आबू
73.	क्किम	सिक्किम	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू मंगन, चुनलंग, लाचुन और लाचेन	-	10 किलोवाट एफएम गंगटोक
74.	रामनाथपुरम	तमिलनाडु	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम रामेश्वरम	रामेश्वरम (डीडी साइट) पर 20 किलोवाट एफएम	-
75.	विरुधुनगर	तमिलनाडु	मंत्रालय पूल	-	---	मदुरई और कोडाइकनाल में 10 किलोवाट एफएम
76.	असीफाबाद	तेलंगाना	मंत्रालय पूल	-	-	-
77.	भोपापल्ली	तेलंगाना	मंत्रालय पूल	-	-	10 केडब्ल्यूएफएम वारंगल
78.	धलाई	त्रिपुरा	मंत्रालय पूल	1 केडब्ल्यू मेगावाटधर्मनगर, 6 केडब्ल्यूएफएमकैलाशहर, 100 वाटवांगुमन और सकन	-	5 किलोवाट एफएम लोंगथराई
79.	चंदौली	उत्तर प्रदेश	मंत्रालय पूल	-	-	10 किलोवाट एफएम वाराणसी

80.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	मंत्रालय पूल	-	100 डब्ल्यू एफएम	10 किलोवाट एफएम बांदा और 20 किलोवाट एफएम रायबरेली *
81.	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश	मंत्रालय पूल	-	100 डब्ल्यू एफएम (नौग्रह)	10 किलोवाट एफएम महाराजजंग *
82.	हरिद्वार	उत्तराखंड	मंत्रालय पूल	100 डब्ल्यू एफएम	-	10 किलोवाट एफएम मसूरी
83.	उधम सिंह नगर / जसपुर	उत्तराखंड	मंत्रालय पूल	100 वाटएफएम (काशीपुर)	हल्द्वानी और जसपुर में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर	-
84.	दक्षिण दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल	मंत्रालय पूल	10 किलोवाट एफएम (बालुरघाट)	-	10 किलोवाट एफएम सिलीगड़ी
85.	नाडिया	पश्चिम बंगाल	मंत्रालय पूल	10 किलोवाट एफएम (कृष्णानगर)	-	-
30 जरूरतमंद जिले (मंत्रालय पूल)						
86.	बक्सा	असम	नीति आयोग	-	-	-
87.		असम	नीति आयोग	100 डब्ल्यू एफएम	-	-

	बारपेटा					
88.	दारंग	असम	नीति आयोग	-	-	-
89.	धूबरी	असम	नीति आयोग	10 किलोवाट एफएम	-	-
90.	गोलपारा	असम	नीति आयोग	1 किलोवाट एफएम	-	-
91.	अररिया	बिहार	नीति आयोग	100 डब्ल्यू एफएम (फोर्ब्सगंज)	10 किलोवाट एफएम (एसएसबी साइट बथनाहा)	10 किलोवाट एफएम सिलीगुड़ी
92.	गुसराय	बिहार	नीति आयोग	-	100 डब्ल्यू	-
93.	कटिहार	बिहार	नीति आयोग	-	-	10 किलोवाट एफएम पूर्णिया
94.	शेखपुरा	बिहार	नीति आयोग	-	-	-
95.	सीतामढ़ी	बिहार	नीति आयोग	100 डब्ल्यू एफएम	10 किलोवाट एफएम (एसएसबी साइट)	-

96.	पाकुड़	झारखंड	नीति आयोग	-	-	-
97.	साहेबगंज	झारखंड	नीति आयोग	-	-	-
98.	बरवानी	मध्य प्रदेश	नीति आयोग	-		
99.	दामोह	मध्य प्रदेश	नीति आयोग	-		
100.	खंडवा	मध्य प्रदेश	नीति आयोग	10 किलोवाट एफएम		
101.	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	नीति आयोग	-		
102.	विदिशा	मध्य प्रदेश	नीति आयोग	-		
103.	नंदुरबार	महाराष्ट्र	नीति आयोग	-	100 डब्ल्यू	-
104.	कालाहाण्डी	ओडिशा	नीति आयोग	200 केडब्ल्यूमेगावाट और 5 केडब्ल्यूएफएमभवानीपटना		
105.	रायगढ़	ओडिशा	नीति आयोग	100 डब्ल्यू एफएम		

106.	बारन	राजस्थान	नीति आयोग	-	----	
107.	जैसलमेर	राजस्थान	नीति आयोग	10 किलोवाट एफएम	-	-
108.	बहराइच	उत्तर प्रदेश	नीति आयोग	100 डब्ल्यू एफएम	10 किलोवाट एफएम (नानपारा-एसएसबी)	10 किलोवाट एफएम लखीमपुर
109.	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	नीति आयोग	100 डब्ल्यू एफएम		
110.	चित्रकूट	उत्तर प्रदेश	नीति आयोग	---	100 डब्ल्यू एफएम (कुराई)	
111.	श्रावस्ती	उत्तर प्रदेश	नीति आयोग	-	-	10 किलोवाट एफएम नानपारा *
112.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	नीति आयोग	6 केडब्ल्यूएफएम ओबरा	-	-
113.	वीरभूम	पश्चिम बंगाल	नीति आयोग	3 किलोवाट एफएम शान्तिनिकेतन	-	-
114.	माल्दा	पश्चिम बंगाल	नीति आयोग	100 डब्ल्यू एफएम	-	10 किलोवाट एफएम (बालुरघाट)
115.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	नीति आयोग	6 केडब्ल्यूएफएम	-	-

परिशिष्ट - तीन

एफएम ट्रांसमीटर और कवरेज के साथ सीमाओं का विवरण

क्र.सं.	अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ		मौजूदा एफएम कवरेज		कार्यान्वयन के अधीन एफएम	
	सीमा का नाम	लंबाई (कि.मी.)	ट्रांसमीटरों की संख्या	कवर की गई सीमा का %	ट्रांसमीटरों की संख्या	एफएम ट्रांसमीटरों के चालू होने के बाद सीमा का %
1	भारत-पाकिस्तान सीमा	3323	27	55	4	65
2	भारत-बांग्लादेश सीमा	4097	36	93	2	93.25
3	भारत-नेपाल सीमा	1758	13	25	9	70
4	भारत-भूटान सीमा	600	1 1	35	2	60
5	भारत-म्यांमार सीमा	1643	21	30	3	40
6	भारत-चीन / तिब्बती सीमा	3380	5	सीमा पार से कोई कवरेज नहीं	0	सीमा पार से कोई कवरेज नहीं
7	भारत-श्रीलंका सीमा	> 400 (समुद्री)	0	0	1	50
कुल (कुछ ट्रांसमीटर में कई सीमा कवरेज हैं)			101		19	

परिशिष्ट- चार

सभी प्लेटफार्मों पर सोशल मीडिया की मौजूदगी का विवरण

क्र.सं.	चैनल का नाम	एसएम प्लैट फॉर्म	यूआरएल	पेज लाइक / फोलोअर्स/ सदस्य
1	डी डी नेशनल			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DoordarshanNational	पेज लाइक: 2,099,300
		ट्विटर	https://twitter.com/ddnational	फोलोअर्स627.9 हजार
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddnational/	फोलोअर्स: 434 हजार
		यूट्यूब	www.youtube.com/DoordarshanNational	सदस्य: 2.8 मिलियन
2	डीडी किसान			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDKisanChannel/	पेज लाइक: 146,343
		ट्विटर	https://twitter.com/DDKisanChannel	फोलोअर्स: 66.7 हजार
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/dd_kisan/	फोलोअर्स: 2254
		यूट्यूब	www.youtube.com/channel/UCnDएफएमcUyhgJp6xC1LmBLfUg	सदस्य: 529 हजार
3	डीडी			

	भारती			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDBharati/	पेज लाइक: 7,401
		ट्विटर	https://twitter.com/dd_bharati	फोलोअर्स: 61.1 हजार
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/dd_bharati/	फोलोअर्स: 5402
		यूट्यूब	https://www.youtube.com/channel/UCIAnITV3O9NYWMI-DwYZaWg/featured	सदस्य: 153 हजार
4	डीडी उर्दू			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDUrduChannel/	पेज लाइक: 5,483
		ट्विटर	https://twitter.com/urdudoordarshan	फोलोअर्स: 5,122
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/dd_urdu/	फोलोअर्स: 1091
		यूट्यूब	Youtube.com/c/ddurdu	सदस्य: 9,706
5	डीडी न्यूज़			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDKisanChannel/	पेज लाइक: 146,343
		ट्विटर	https://twitter.com/DDKisanChannel	फोलोअर्स: 66.7 हजार
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/dd_kisan/	फोलोअर्स: 2254
		यूट्यूब	www.youtube.com/channel/UCnDएफएमcUyhgJp6xC1LmBLfUg	सदस्य: 529 हजार
6	डीडी इंडिया			

		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDIndiaLive/	पेज लाइक: 11 हजार
		ट्विटर	https://twitter.com/DDIndialive	फोलोअर्स: 25.9 हजार
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddindialive/	फोलोअर्स: 2616
		यूट्यूब	https://www.youtube.com/channel/UCGDQNvybfDDeGTf4GtigXaw)	सदस्य: 35.8 हजार
7	डीडी स्पोर्ट्स			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/Doordarshansports/	पेज लाइक: 438 हजार
		ट्विटर	https://twitter.com/ddsportschannel	फोलोअर्स: 64.9 हजार
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/dd.sports/	फोलोअर्स: 11.9 हजार
		यूट्यूब	https://www.youtube.com/user/doordarshansports	सदस्य: 644 हजार
8	डीडी काशीर			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDKashirChannel/	पेज लाइक: 21,890
		ट्विटर	https://twitter.com/ddkashirchannel	फोलोअर्स: 3,358
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddkashirchannel/	फोलोअर्स: 1639
		यूट्यूब	www.youtube.com/channel/UCOqU-HfQxoyImaCW2tCDxJA	सदस्य: 169 हजार
9	डीडी			

	पंजाबी			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/ddpunjabijal/	पेज लाइक: 16,978
		ट्विटर	https://twitter.com/DdPunjabi	फोलोअर्स: 995
		इंस्टाग्राम		फोलोअर्स:
		यूट्यूब	www.youtube.com/user/ddpunjabi1	सदस्य: 38.5हजार
10	डीडी उत्तर प्रदेश			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDUttarPradesh/	पेज लाइक: 7537
		ट्विटर	https://twitter.com/DDUttarPradesh	फोलोअर्स: 5027
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/dduttarpradeshddup/	फोलोअर्स: 1281
		यूट्यूब	www.youtube.com/user/DDUttarPradesh	सदस्य: 31.5हजार
11	डीडी मध्य प्रदेश			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/ddmadhyapradesh/	पेज लाइक: 3,891
		ट्विटर	https://twitter.com/DDMadhyaPradesh	फोलोअर्स: 989
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddmadhyapradesh/	फोलोअर्स: 325
		यूट्यूब	https://www.youtube.com/channel/UCjL_oswCjWhUUZWnynQDRXw	सदस्य: 31.6हजार
12	डीडी			

	राजस्थान			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/ddrajasthantv/	पेज लाइक: 5,429
		ट्विटर	https://twitter.com/ddrajasthantv?s=08	फोलोअर्स: 2,343
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddrajasthan/	फोलोअर्स: 382
		यूट्यूब	www.youtube.com/channel/UC4kvbaH_nW7gOKVlZnbQ1eg	सदस्य: 16.7हजार
13	डीडी बिहार			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDBiharChannel/	पेज लाइक: 12,788
		ट्विटर	https://twitter.com/ddbiharchannel	फोलोअर्स: 3,104
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddbihar_channel/	फोलोअर्स: 441
		यूट्यूब	www.youtube.com/channel/UCo3JYDa7EjbwCwisib2StKA	सदस्य: 14.3हजार
14	डीडी गिरनार			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/ddgirnar/	पेज लाइक: 15,782
		ट्विटर	https://twitter.com/ddgirnarlive	फोलोअर्स: 17.6हजार
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddgirnar	फोलोअर्स: 2313
		यूट्यूब	https://www.youtube.com/user/DDGirnarOfficial	सदस्य: 197 हजार
15	डीडी ओड़िया			

		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDOdiaChannel	पेज लाइक: 7,413
		ट्विटर	https://twitter.com/dd_odia	फोलोअर्स: 992
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/dd_odia	फोलोअर्स: 547
		यूट्यूब	www.youtube.com/c/ddodisha	सदस्य: 79.7हजार
16	डीडी बंगला			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/ddbanglatv/	पेज लाइक: 43,530
		ट्विटर	https://twitter.com/DDBanglaTV?s=08	फोलोअर्स: 3,404
		इंस्टाग्राम		फोलोअर्स:
		यूट्यूब	https://www.youtube.com/channel/UClcW8Lfj5zE67tvsQ27lb_g	सदस्य: 33.3हजार
17	डीडी सह्याद्री			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/dd.sahyadri/	पेज लाइक: 59,212
		ट्विटर	https://twitter.com/DDSahyadri	फोलोअर्स: 8,319
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddsahyadri/	फोलोअर्स: 7568
		यूट्यूब	www.youtube.com/user/ddsahyadri	सदस्य: 256हजार
18	डीडी पोधिगई			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDPodhigaiofficial/	पेज लाइक: 16,252
		ट्विटर	https://twitter.com/DDPodhigaiTV	फोलोअर्स: 5618

		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddpodhigai/	फोलोअर्स:
		यूट्यूब	https://www.youtube.com/channel/UC5-_zkjKabYd7tsLucKsriw	सदस्य: 126,420
19	डीडी मलयालम			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDMalayalam/	पेज लाइक: 53,265
		ट्विटर	https://twitter.com/DDMalayalam	फोलोअर्स: 2,654
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddmalayalamofficial/	फोलोअर्स: 1121
		यूट्यूब	https://www.youtube.com/channel/UC4--pPs1CVZvs60uuhfjdwQ	सदस्य: 58.7हजार
20	डीडी सप्तगिरी			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/ddsaptagiri/	पेज लाइक: 2,037
		ट्विटर	https://twitter.com/DDSaptagirivja	फोलोअर्स: 1749
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddsaptagiri/	फोलोअर्स: 1283
		यूट्यूब	www.youtube.com/channel/UCLVR4jsiTb9Ypj3Jf39bNVA	सदस्य: 2.14 हजार
21	डीडी चंदना			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/ddchandanabng/	पेज लाइक: 15,262
		ट्विटर	https://twitter.com/ddchandanabng	फोलोअर्स: 2,212
		इंस्टाग्राम	instagram.com/dd_chandana	फोलोअर्स: 2508

		यूट्यूब	youtube.com/ddchandana_official	सदस्य: 289हजार
22	डीडी यादगिरी			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/ddyadagiri.tv/	पेज लाइक: 9,688
		ट्विटर	https://twitter.com/ddyadagiri	फोलोअर्स: 2,815
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddyadagiri/	फोलोअर्स: 423
		यूट्यूब	www.youtube.com/channel/UC6V4nVa0CQkoLZUlg9drmZA	सदस्य: 34.2हजार
23	डीडी नॉर्थ ईस्ट			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDASSAMOFFICIAL/	पेज लाइक: 7,455
		ट्विटर	https://twitter.com/ddnortheast	फोलोअर्स: 409
		इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/ddkguwahati/	फोलोअर्स: 371
		यूट्यूब	https://www.youtube.com/channel/UCOPD-952cc3r9yDQJUQAezQ	सदस्य: 10.4हजार
24	डीडी अरुणप्रभा			
		फेसबुक	https://www.facebook.com/DDArunPrabha/	पेज लाइक: 2644
		ट्विटर	https://twitter.com/DDArunPrabha	फोलोअर्स: 1082
		इंस्टाग्राम	उपलब्ध नहीं	फोलोअर्स:
		यूट्यूब	उपलब्ध नहीं	सदस्य:
25	डीडी रेट्रो			

		फेसबुक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		ट्विटर	https://twitter.com/RetroDD	फोलोअर्स: 5785
		इंस्टाग्राम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		यूट्यूब	https://youtu.be/QweONF2d4Wc	सदस्य: लंबित

अनुबंध-दो

आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण ।

(सत्रहवीं लोक सभा)

(देखिए प्राक्कथन का पैरा सं. 5)

(i) सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है सि.क्र.सं. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 25 तथा 26

कुल - 18

प्रतिशत 69.23

(ii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सि.क्र.सं. शून्य

कुल - शून्य

प्रतिशत 0.00

(iii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता हैः-

सि.क्र.सं.:- 15 और 18

कुल - 02

प्रतिशत 7.69

(iv) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैः-

सि.क्र.सं. :- 2, 14, 17, 19, 23 और 24

कुल - 06

प्रतिशत 23.08